मंडल आयोग

एवं

अन्य पिछड़ा वर्ग

लेखक

प्रा. सुरेश माने

B.Com., LLM.

अनुवादक

डॉ. संजय गजभिए

बहुजन साहित्य प्रसार केंद्र, नागपूर

Scanned with CamScanner

मंडल आयोग
एवं
अन्य पिछड़ा वर्ग

लेखक

प्रो. सुरेश माने

B.Com., LLM.

अनुवादक

डॉ. संजय गजभिए

M.Com., M.A.

(Eco., Ambedkar Thought, Pali & Prakrit, Political Science,
Sociology, Public Administration, A.I.H.C. & Archaeology),
NET (Pali), NET (Buddhist, Jains, Gandhin & Peace Studies),
M.Phil. (Ambedkar Thought), Ph.D. (Ambedkar Thought)

बहुजन साहित्य प्रसार केन्द्र, नागपुर

Scanned with CamScanner

मंडल आयोग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग

लेखक : **प्रो. सुरेश माने**

अनुवादक : **डॉ. संजय गजभिए**

- प्रकाशक :

  सुजित मुरमाडे

  बहुजन साहित्य प्रसार केन्द्र

  40, महापुष्प सोसायटी, लोहार समाज सभागृह के पीछे

  पचाशी प्लॉट एरियॉ,नागपुर - 440027

  मोबाईल - 9420397095

- मुखपृष्ठ

  शशी भोवते

- अक्षर रचना / मुद्रक

  सिवली ग्राफीक्स, नागपुर

  मोबाईल - 9881712141

- अनुदान राशि : रू. 40/-

Scanned with CamScanner

BAHUJAN MEDIA CENTER
BMC
No ....
Dt ....
Uttam Shewde
4, Yashvant Society, Nagpur-440027

अपनी बात

मंडल निर्णय पत्र से, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें और न्यायपालिका की बहुजन समाज के (अनुसूचित जाति 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 7.5 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 52 प्रतिशत) सरकारी लोकतंत्र के संदर्भ में भूमिका वर्तमान में स्पष्ट हो रही है यह प्रसन्नता की बात है। आरक्षित जगह के संदर्भ में पिछले दशकों की न्यायालयों की भूमिका और आज की भूमिका में कई विसंगतियां दिखाई देती है। मंडल निर्णय ने बहुजन समाज के प्रशासकीय सहभाग में कई रूकावटे निर्माण करके संविधान के उद्देशों को छेद देने के साथ आरक्षण के विरोधियों को भी खाद्य दिया है। मुक्त अर्थव्यवस्था, आधुनिकीकरण, निजीकरण और भर्ती पर रोक, इसके अलावा आरक्षित जगह न भरना, यह योजना शूरू रहते ही मंडल निर्णय की पिछड़े वर्गो के वर्गीकरण की सूचना भयंकर है। इतना ही नहीं क्रिमीलेअर की थेअरी के माध्यम से बहुजन समाज को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने का राजमार्ग है।

सामाजिक-आर्थिक, शासकीय-प्रशासकीय लोकतंत्र भारत की राष्ट्रीय मजबूती का प्रमुख आधार है। क्रांतिबा फुले - शाहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने निरंतर इन तत्वों का केवल पुरस्कार ही नहीं किया बल्कि सतत इसे क्रियान्वित करने के लिए आंदोलन भी किए। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान सभा में, आर्यलैंड का उदाहरण देकर इस देश की जनता को समझाया, फिर भी इस देश को लोगों को समझ में नहीं आया यह सच है। आरक्षित जगह का तत्व यह विशेष वर्ग की सुविधा के लिए न होकर भारतीय गणतंत्र को पूर्ण करने के लिए स्वीकार की गई संवैधानिक योजना है।

मंडल निर्णय से 52 प्रतिशत अन्य पिछडे वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षित जगह का तत्व सीमित स्वरूप में स्वीकार किया गया। अनुसूचित जाति-जनजाति (22.5 प्रतिशत) के लिए 22 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। अर्थात् कुल 74.5 प्रतिशत

Scanned with CamScanner

(52 प्रतिशत + 22.5 प्रतिशत) समाज घटक के लिए 49.5 प्रतिशत और शेष 26 प्रतिशत समाज के लिए (100–74.5 प्रतिशत) 51.5 प्रतिशत सरकारी नौकरियां यही मूलत: विषम प्रमाण है।

सरकारी योजना और न्यायालय की भूमिका देखते हुए प्रचलित आरक्षित सीटों को नकारकर लोकसंख्या के अनुसार सरकारी नौकरियां इस तत्व का अवलंबन करने पर किसी एक समाज घटक को लाभ पहुंचाने का सरकार पर आरोप नहीं होगा। अत: लोकसंख्या के प्रमाण में सरकारी नौकरियां (Proportional Representation) यही सफल मार्ग है।

मंडल निर्णय पत्र के माध्यम से बहुजन समाज के शिक्षित और कर्मचारी वर्ग के सामने नई समस्या खड़ी की गई है। यह समस्या इस वर्ग को समझना अनिवार्य होने के कारण कलम उठाई गई है। इस काम में मेरे कई मित्र, हितचिंतक और टिकाकार इनका जिस प्रकार का सहयोग मिला उसी प्रकार मुझपर अपार प्रेम करनेवाले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता परिवार और विशेषत: मेरे भाई दिलीप काकडे और शिवाजी माने का सहभाग है। अत: इन सभी के कारण ही यह संभव हो पाया। मैं इन सभी का आभारी हूँ। डॉ. संजय गजभिए ने अत्यंत व्यस्त समय में से समय निकालकर मराठी ग्रंथ 'मंडल आयोग निकालपत्र' का हिन्दी में रूपांतर करने के कारण ही हिन्दी पाठक इसका लाभ उठा पाए। इसलिए मैं डॉ. गजभिए का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

बहुजन प्रसार साहित्य के प्रकाशक सुजित मुरमाडे ने इसे प्रकाशित करने के लिए जो परिश्रम किया उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ।

धन्यवाद!

प्रो. सुरेश माने

Scanned with CamScanner

अनुवादकीय

प्रा. सुरेश माने द्वारा मराठी में लिखित 'मंडल आयोग निकालपत्र' का हिन्दी में 'मंडल आयोग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग' के रूप में रूपांतर करके मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से को सत्ता, संपत्ती और सामाजिक प्रतिष्ठा से बेदखल कर दिया गया था। दो हजार से भी अधिक वर्ष तक समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही निस्तेज अवस्था में पड़ा रहा अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हुए। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने आंदोलन करके विकास से कोसो दूर निस्तेज पड़े समाज में जनजागृति लाने का काम किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को जब भारतीय संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने सवप्रथम संविधान की धारा 340 के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास की बात सबसे पहले की। इसके बाद ही उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए धारा 341 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए धारा 342 का प्रावधान किया। परंतु खेद की बात यह है कि संविधान में प्रावधान किए जाने के बाद भी अनेक दशकों तक सरकारी उदासिनता के चलते अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ा।

प्रा. सुरेश माने की यह किताब उक्त का बखूबी बयान करती है। इस किताब के प्रकाशक आयुष्मान सुजित मुरमाडे ने मुझे इसके अनुवाद के लिए दिसम्बर-2013 में अनुरोध किया था। समयाभाव के कारण मैं इस कार्य को समय पर नहीं कर पाया, परंतु देरी से ही सही प्रा. सुरेश माने द्वारा मराठी में लिखित 'मंडल आयोग निकालपत्र' नामक किताब का हिन्दी में रूपांतर करके मैं प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। आशा करता हूँ पूर्व की ही तरह पाठकगण इस रूपांतर का भी स्वागत करेंगे।

डॉ. संजय गजभिए

Scanned with CamScanner

मंडल आयोग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग

उच्चतम न्यायालय द्वारा मंडल निर्णय के बाद आरक्षित जगहों की संवैधानिक वैधता, व्याप्ती, मर्यादा, सर्वणों में गरीब और लाभदायी समाज इस चर्चा को फिर उफान आया है। माननीय वी.पी. सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सारी शिफारिशें न मानते हुए केवल एक ही शिफारिश स्वीकार करने की घोषणा करते ही, देश की समस्त उंची जाति के लोग, आरक्षण के विरोधक और उच्चवर्णियों के साथ रहकर राह से भटके बहुजन युवकों ने, देश में नंगा-नाच किया और करोड़ों रूपयों की संपत्ती को नुकसान पहुंचाया। आरक्षण के खिलाफ ऊंची जाति के यूवकों ने स्वयं को जलाने के साथ बहुजन समाज के यूवकों को भी स्वयं को जलाने के लिए प्रेरित करके, मंडल आयोग का विरोध करके हम भारतीय संविधान को अभिप्रेत समाजव्यवस्था निर्माण करने के विरोधी है यही सुस्पष्ट किया।

देश की ब्राह्मणवादी समाजव्यवस्था संवर्धन पुरस्कर्ता विचारवंत, समाचारपत्र और अन्य प्रसार माध्यमों ने मंडल आयोग पर टिकास्त्र छोड़ा था। मंडल आयोग के कारण ब्राह्मण और ठाकूरों पर भिक्षा मांगने की नौबत आएगी ऐसा भी झूठा प्रचार किया गया। जातियवादी राजनैतिक नेताओं को देश बटेगा इसकी चिंता सताने लगी। संवैधानिक प्रावधानों की गलतियां निकालने वाले प्रसिद्ध विधी विशेषज्ञ भी स्वयं को इससे अलिप्त नहीं रख पाए। उन्होंने भी मंडल आयोग ही नहीं बहुजन समाज के विरोध में खंजर घोपे और उच्चतम न्यायालय तक मंडल आयोग जो संविधान की 340वीं धारा के अनुसार है उसे किस प्रकार संविधान विरोधी है यह सिद्ध करने के लिए आगे आए। इस प्रकार पूल के नीचे से बहुत सारा पानी बह जाने के बाद, 16 नवम्बर, 1992 को उच्चतम न्यायालय ने मंडल आयोग सम्बन्धी निर्णय सुनाया। खेद की बात है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद विवाद समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु वैसा नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद अनेक

Scanned with CamScanner

प्रश्न उपस्थित किए गए। इन मूलभूत प्रश्नों का विवेचन करने के उद्देश्य से ही कलम उठाई गई है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से, आयोग द्वारा लगाई गई कसौटी, शिफारिश और सरकार ने निर्णय देखना उचित होगा।

मंडल आयोग का मूल

भारतीय संविधान बनाने में अनेक मार्यादाओं के साथ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर वर्चस्व था। संविधान में अनुसूचित जाति-जनजाति की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण मिलना चाहिए यह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का विचार संविधान सभा में असफल होते ही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने विरोध को न मानते हुए वर्तमान धारा 340 का प्रावधान करने का आग्रह किया। विरोधियों ने नाराजी के सूर में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के निर्णय को सहमती दर्शायी। धारा 340 यह मंडल आयोग का मूल है। संविधान की धारा 340 इस प्रकार है।

''पिछड़े वर्गो की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति -

1. राष्ट्रपति भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तो के अधीन वे अनुदान दिए जाने चाहिएं उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्तिच की जाएगी।

2. इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों के अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे।

3. राष्ट्रपति, इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।''

Scanned with CamScanner

इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार भारत सरकार ने 29 जनवरी, 1953 को पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग माननीय काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया। इस आयोग ने अपना अहवाल दिनांक 30 मार्च, 1955 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। मजे की बात यह है कि आयोग के अध्यक्ष माननीय कालेलकर ने ही राष्ट्रपती को एक निजी पत्र लिखकर आयोग की सिफारिश का कड़ा विरोध किया। अंततः नेहरू सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। इस प्रकार प्रथम आयोग का हर्ष हुआ।

इमरजेंसी के उपरांत सत्तासंघर्ष की कालावधी में प्रमुख कांग्रेस विरोधी पार्टी का गठन हुए 'जनता पार्टी' ने सत्ता पर आते ही कालेलकर आयोग लागू करने का घोषणापत्र द्वारा आश्वासन दिया। सत्ता पर आते ही जनता पार्टी भी घोषणापत्र में किए अपने वादे को भूल गई और एक नया आयोग गठित कर डाला।

संविधान की धारा 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की दशाओं की जांच करने के लिए 1 जनवरी, 1979 को माननीय बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। इस आयोग को मंडल आयोग कहा जाता है। इस आयोग की संरचना निम्नानुसार थी –

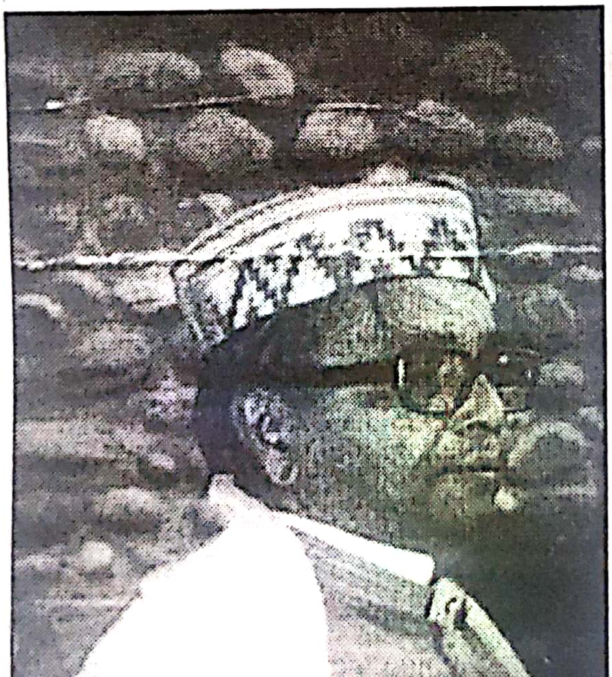

माननीय बी.पी. मंडल

Scanned with CamScanner

1. माननीय बी.पी. मंडल (पूर्व संसद सदस्य) - अध्यक्ष
2. माननीय आर.आर. भोले, संसद सदस्य - सदस्य
3. माननीय दिवान मोहनलाल - सदस्य
4. माननीय एल.आर. नाईक (पूर्व संसद सदस्य) - सदस्य
5. माननीय के. सुब्रमणियम् - सदस्य
6. श्री एस.एस. गिल - सेक्रेटरी

अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति अंशकालिक आधार पर की गई थी और उन्होंने अवैतनिक क्षमता में कार्य किया।

आयोग के विराचार्थ निम्नलिखित विषय थे -

1. सामाजिक तथा शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मापदंड निर्धारित करना;
2. इस प्रकार परिभाषित नागरिकों के सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करना;
3. नागरिकों के उन पिछड़े वर्गों के लिए जिनका संघ या किसी भी राज्य की सेवाओं और पदों में वांछनीयता या अन्यथा की जांच करना; और
4. राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें उनके द्वारा पाए गए तथ्यों का निरूपण किया गया हो तथा उनके द्वारा उचित समझी गई सिफारिशें की गई हों।

इस सम्बन्ध में आयोग पहले नियुक्त किए गए पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों तथा उन तथ्यों पर भी विचार कर सकता है जो सरकार द्वारा उसकी सिफारिशों को स्वीकार करने में बाधक हुई।

सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए मंडल आयोग के मापदण्ड :-

सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए मंडल आयोग ने निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए -

क) सामाजिक मापदण्ड -

1) अन्यों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी समझी जाने वाली जातियां/वर्ग।
2) अपनी जीविका के लिए शारीरिक श्रम पर पूर्ण रूप से निर्भर जातियां/

Scanned with CamScanner

वर्ग।

3) वे जातियां/वर्ग जिनमें राज्य औरत से कम से कम 25 प्रतिशत महिलायें और 10 प्रतिशत अधिक पुरूष ग्रामीण क्षेत्रों में 17 वर्ष से कम आयु में विवाह कर लेते है और शहरों में कम से कम 10 प्रतिशत महिलाएं और 5 प्रतिशत पुरूष ऐसा करते हैं।

4) वे जातियां/वर्ग जिनमें राज्य औसत से कम से कम 25 प्रतिशत महिलाएं काम में अधिक योगदान देते हैं।

ख) शैक्षणिक मापदण्ड –

1) वे जातियां/वर्ग जिनमें 5–10 वर्ष के आयु–ग्रुप वाले राज्यों की संख्या जिन्होंने स्कूल में कभी प्रवेश नहीं लिया, राज्य औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है।

2) वे जातियां/वर्ग जहां 5–15 वर्ष के आयु–ग्रुप वाले विद्यार्थियों को बीच में ही पढ़ना छोड़ देने की दर राज्य औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है।

3) वे जातियां/वर्ग जिनमें मैट्रिकुलेटों का अनुपात राज्य औसत से कम से कम 25 प्रतिशत कम है।

ग) आर्थिक मापदण्ड –

1) वे जातियां/वर्ग, जिनकी परिवार की सम्पत्ति का औसत मुख्य राज्य औसत से कम से कम 25 प्रतिशत कम है।

2) वे जातियां/वर्ग, जहां कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों की संख्या राज्य औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक थी।

3) वे जातियां/वर्ग, जहां 50 प्रतिशत से अधिक परिवारों के लिए पीने के पानी का स्रोत आधे किलोमीटर से अधिक दूरी पर है।

4) वे जातियां/वर्ग, जहां उपभोक्ता ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या राज्य औसत से कम से कम 25 प्रतिशत से अधिक है।

Scanned with CamScanner

मंडल आयोग की सिफारिशें –

मंडल आयोग द्वारा अपने अहवाल में निम्नलिखित शिफारिशें की गई थी –

1) खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किए गए अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को उनके 27 प्रतिशत के आरक्षण कोटा के साथ समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

2) उपर्युक्त आरक्षण को सभी स्तरों पर पदोन्नति कोटा में भी ग्राह्य बनाया जाना चाहिए।

3) न भरे गए आरक्षण कोटा को तीन साल की अवधी तक के लिए जारी रखा जाना चाहिए और उसके पश्चात् अनारक्षित किया जाए।

4) सीधे भर्ती के लिए अधिकतम आयु–सीमा में छुट उसी प्रकार से अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को भी दी जानी चाहिए, जिस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में दी जाती है।

5) पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उसी प्रकार से रोस्टर प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिस प्रकार से वर्तमान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में अपनाई जाती है।

इसके अलावा मंडल आयोग द्वारा निम्नलिखित शिफारिशें भी की गई –

1) आरक्षण की उपर्युक्त योजना को, पूर्ण रूप में, राष्ट्रीकृत बैंकों में साथ–साथ, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को सभी भर्तियों में भी लागू किया जाना चाहिए।

2) सरकार से किसी न किसी रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी उपर्युक्त के आधार पर कार्मिकों की भर्ती करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

3) सभी विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कालिजों को भी आरक्षण की उपर्युक्त योजना के बारे में लिखा जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

4) इन सिफारिशों को समुचित रूप से प्रभावी बनाने के लिए इस बात की अत्यावश्यकता है कि वर्तमान अधिनियमों, कानूनों, कार्यविधियों आदि को संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त सांविधिक अनुरूप न बन जाएं।

शैक्षणिक रियायतें –

1. अ) ओ.बी.सी. की जनसंख्या जहां पर अधिक होगी ऐसी चुनिंदा कुछ जगहों पर निश्चित और कालबद्ध प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सरकार ने हाथ में लेना चाहिए।

ब) ऐसे विभाग में ओ.बी.सी. विद्यार्थी के लिए आदिवासी आश्रम स्कूल की तरह निवासी स्कूल प्रारंभ करने चाहिए।

2. प्रौढ़ एवं निवासी स्कूल की योजना संपूर्ण भारत में इमानदारी से चलानी चाहिए।

3. केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जानेवाली सभी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए।

आर्थिक सहायता –

4. अनुसूचित जाति – जनजाति के भूमिहीनों को जिस प्रकार से अतिरिक्त जमीन दी जाती है उसी प्रकार से ओ.बी.सी. लोगों को भी अतिरिक्त जमीन दी जाय।

i) पिछड़ों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उन्नती के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने ''पिछड़ा वर्ग विकास आयोग'' की स्थापना करनी चाहिए। उद्योगों और लघु उद्योगो के लिए कम ब्याज पर ऋण देना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को बैंक की अन्य सभी प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है, उस प्रकार की सभी सुविधाएं अन्य पिछड़ा वर्ग को भी दी जानी चाहिए।

ii) केन्द्र सरकार की आज तक कोई अन्य पिछडा वर्ग योजना और कल्याण कार्यक्रम नहीं उसे शुरू किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

iii) इन सभी सुविधाओं और योजनाओं को अमल में लाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने स्वतंत्र मंत्रालय गठित करना चाहिए।

यह सारी सुविधाएं 20 वर्ष तक चालू रहनी चाहिए ऐसा मंडल आयोग में दर्शाया गया है।

मंडल आयोग, 30 अप्रैल, 1981 को संसद के दोनों सभागृह में प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी सरकार ने मंडल आयोग को बड़ी चालाकी से दूर रखा। दूसरी ओर कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर मंडल आयोग के लिए जनजागृती और आंदोलन शुरू किए। नवम्बर, 1989 के लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मोर्चा और उसके सहयोगी दलों ने सत्ता में आने पर बहुजन समाज के सामने मंडल आयोग का गाजर रखा। राष्ट्रीय मोर्चा की विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दिनांक 7 अगस्त, 1990 से मंडल आयोग की शिफारिशें लागू करने का निर्णय लिया। उसी प्रकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सेना को यह शिफारिश लागू नहीं होने का स्पष्ट किया। अंतत: विरोधियों के माध्यम से मंडल आयोग उच्चतम न्यायालय में दाखिल हुआ। भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय सव्वयाची मुखर्जी इनके इंग्लैंड में निधन के कारण भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा ने 1 अक्टूबर, 1990 को मंडल आयोग शिफारिश अमल में लाने पर रोक लगा दी। उसके बाद कांग्रेस की राव सरकार ने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार की 13 अगस्त, 1990 की सिफारिशें स्वीकार करने के सम्बन्ध में जारी किया गया कार्यालयीन निवेदन बदल कर 25 सितम्बर, 1991 को नया कार्यालयीन आदेश जारी किया। प्रथम उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ती माननीय मिश्रा की अध्यक्षता में पीठ ने कुछ सुनवाई करने के बाद मंडल आयोग प्रकरण 9 जजों की विशेष पीठ की ओर आरक्षित जगह के संदर्भ में अंतिम निर्णय के लिए सूपूर्द किया गया। इसके अनुसार सुनवाई होने के बाद 6 विरूद्ध 3 के बहुमत से उच्चतम न्यायालय ने 16 नवम्बर, 1991 को निर्णय दिया।

Scanned with CamScanner

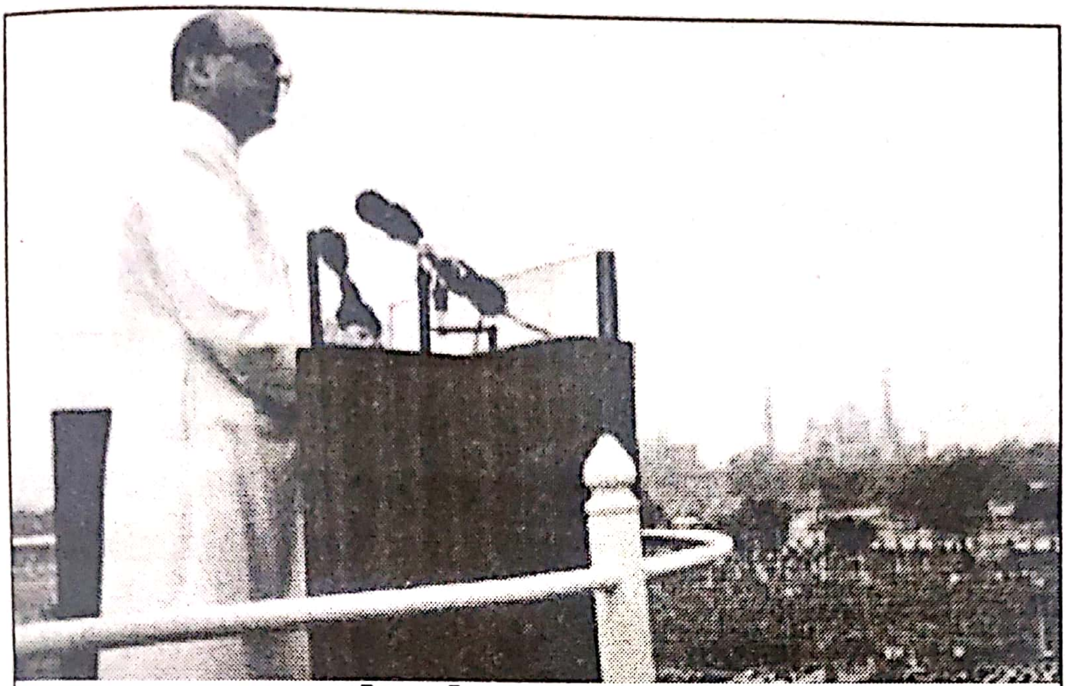

मानवीय विश्वनाथ प्रताप सिंह

मंडल आयोग अमल में लाने के लिए सरकारी आदेश।

मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के बाद केन्द्र में सत्ता पर आने के बाद प्रत्येक सरकार ने उसपर अमल करने की गैरंटी दी। परंतु सत्ता में आने के बाद किसी भी सरकार ने इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की दिशा में काम नहीं किया। 25 सितम्बर, 1991 तक सरकार ने मंडल आयोग के सम्बन्ध में टालमटोल किया। परंतु जनता दल सरकार के प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संसद में घोषणा की की, मेरी सरकार मंडल आयोग की पहली सिफारिश को स्वीकार रही है। इसके अनुसार 13 अगस्त, 1990 को निकाले गए कार्यालयीन आदेश का सार इस प्रकार था –

विषय :– दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश (मंडल अहवाल) सामाजिक और आर्थिक दृष्टी से पिछड़े वर्ग के लिए केन्द्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण।

सरकार द्वारा रिपोर्ट और शिफारिश की पूर्ण छानबीन करने के बाद, वर्तमान में रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार सरकार का स्पष्ट मत है कि, इस वर्ग को केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में झुकता माप देना अनिवार्य है। इसके अनुसार,

1) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी, अर्धसरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त करनेवाली निजी संस्था, बैंक की नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण

Scanned with CamScanner

होना ही चाहिए।

2) उपरोक्त आरक्षित पदों का तत्व सीधे नौकरी में भर्ती पर लागू होगा।

3) सर्वसाधारण उम्मीदवारों के साथ खुली स्पर्धा में मेरिट सूची में आनेवाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27 प्रतिशत में न माना जाय।

4) प्रारंभ में मंडल आयोग की सूची और राज्य सरकार की सूची में समाहीत समान जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग में समावेश माना जाय।

5) इस प्रकार आरक्षित पदों का प्रावधान 7 अगस्त, 1990 से ग्राह्य माना जाय। परंतु इससे पूर्व जिन जगहों पर नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई होगी वहां पर यह लागू नहीं होगा।

सरकार के इस आदेश के बाद उत्तर भारत में व्यापक प्रमाण में प्रतिक्रिया आई। सरकारी और निजी सम्पत्ति को बड़े प्रमाण में नुकसान पहूंचाया गया। कानून और सुव्यवस्था का प्रश्न महत्वपूर्ण बना। कुछ आरक्षण विरोधी युवकों ने ''खुदकुशी'' समान विभत्स प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण विरोधी आंदोलन को पवित्रता का मुलामा चढ़ाने का प्रयास किया। उसी के साथ प्रस्तुत आदेश निरस्त होना चाहिए या उसे स्थगित करने का आदेश जारी करने के लिए न्यायालय में याचिका भी डाली गई और उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश भी दिया।

1991 के लोकसभा चुनाव में चुनाव में केन्द्र में सत्तापरिवर्तन हुआ। कांग्रेस सरकार ने मंडल आयोग सम्बन्धी 13 अगस्त, 1990 का कार्यालयीन आदेश बदलकर 25 सितम्बर, 1991 को नया आदेश जारी किया। इस आदेश में किया गया बदल निम्न प्रकार से था –

1) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए 27 प्रतिशत नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन घटकों को प्रधानता दी जाय।

2) आर्थिक रूप से पिछड़े समाज घटकों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाय, जिनका वर्तमान आरक्षण पद्धती में समावेश नहीं।

3) अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन या आर्थिक रूप से पिछड़े घटक निश्चित करने के लिए मापदण्ड अलग से दिए जा रहे है।

Scanned with CamScanner

इसमे महत्वपूर्ण बात इस प्रकार है कि, उच्चतम न्यायालय ने अपना मंडल निर्णय देने तक केन्द्र सरकार के सुधारित आदेश में कहे अनुसार आर्थिक मापदण्ड निश्चित नहीं किया। सरकार ने आर्थिक मापदण्ड स्पष्ट करना चाहिए, इसके लिए समय-समय पर न्यायालय ने अपना कामकाज भी रोका। इस दौरान न्यायालय के सामने रखी मूल याचिका में परिवर्तन करके नए आदेश को भी चुनौती दी गई।

न्यायालय के समक्ष प्रश्न –

उच्चतम न्यायालय ने पक्ष और प्रतिपक्ष के वकील और आवेदकों का तर्क सुनने के बाद, सभी की सहमती से आगे के प्रश्न निर्णय के लिए निश्चित किए, वे इस प्रकार थे –

1) संविधान की धारा 16(4) को अभिप्रेत कार्यवाही राज्य के विधानमंडल द्वारा करना क्या अनिवार्य है?

2) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारार्थी हो तो उस सम्बन्ध में आदेशानुसार कार्यवाही करना क्या संभव है?

3) भारतीय संविधान की धारा 16(4) यह क्या 16(1) को अपवाद है?

4) धारा 16(4), पिछड़ों के सम्बन्ध में विशेष उपाययोजना क्या परिपूर्ण है? अथवा क्या सारे घटक, वर्ग या समूह के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान के लिए परिपूर्ण है?

5) क्या 16(1) में आरक्षण का प्रावधान है? अथवा 16(1) केवल प्रधानता या सुविधा सूझाती है।

6) 16(4) को अभिप्रेत पिछड़ों का वर्ग अर्थात् वास्तव में क्या?

7) क्या ऐसे वर्ग की पहचान केवल जाति के आधार पर की जा सकती है?

8) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग भी अनुसूचित जाति-जनजाति की तरह ही होना चाहिए?

9) क्या पिछड़ा वर्ग की पहचान करने के लिए आर्थिक मापदण्ड लगाना संभव है? यदि संभव होगा तो क्या ऐसा करना आवश्यक है?

Scanned with CamScanner

10) क्या केवल आर्थिक मापदण्ड से पिछड़ों की पहचान करना संभव है?

11) क्या जाति के बिना व्यवसाय घटाव आय इस आधार पर पिछड़ों की पहचान करना संभव है?

12) आरक्षण का प्रमाण क्या होना चाहिए?

13) 1993 के उच्चतम न्यायालय के बालाजी केस के निर्णय के अनुसार 50 प्रतिशत नियम बंधनकारी है कि, सूचना है कि, दूरदर्शिता का है?

14) यदि 50 प्रतिशत मर्यादा ग्राह्य मानी तो क्या 16(4) के अनुसार सभी प्रकार के आरक्षण का उसमें समावेश होता है?

15) धारा 16 पदोन्नती में भी आरक्षित स्थानों को मंजूरी देती है।

16) क्या आरक्षण यह गुणवत्ता विरोध है? अथवा धारा 335, 38(2) एवं 46 के अनुसार, धारा 16 की व्याप्ती समझना जरूरी है?

17) दूसरे कार्यालयीन आदेशानुसार क्या पिछड़ों के पिछड़े और अधिक पिछड़े ऐसा विभाजन करने के लिए धारा 16 अनुमती देती है?

18) दिनांक 15 सितम्बर, 1991 के आदेशानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित पद रखने के लिए क्या संविधान की धारा 15 अनुमती देती है?

उपरोक्त सारे प्रश्नों से हम इन निष्कर्षो पर पहुंच सकते है -

1) उपरोक्त सभी प्रश्न भारतीय समाजव्यवस्था का पक्ष रखते है।

2) उपरोक्त प्रश्न यह नाजूक एवं संवेदनशील है।

3) उपरोक्त प्रश्न के सम्बन्ध में न्यायालय ने इससे पूर्व भी निर्णय दिया है।

उच्चतम न्यायालय में हुई जीरह का सार -

मंडल आयोग और महत्वपूर्ण मामलों में देश के नामजद वकील, नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाओं ने न्यायालय के समक्ष अपना-अपना तर्क रखा। विविध राज्य के प्रतिनिधी, उसी प्रकार केन्द्र सरकार की ओर से उसके वकील ने भी अपना पक्ष रखा। इसका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

1) श्री के.के. वेणूगोपाल (उच्चतम न्यायालय - जेष्ठ वकील) याचिका संख्या - 930/90 के आवेदक की ओर से।

अ) पिछड़ा समाजघटक अर्थात 16(4) के अनुसार पिछड़ी जाति नहीं।

ब) पिछड़ापण यह सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक भी हो सकता है।

क) आर्थिक मापदण्ड लगाना, इसलिए जरूरी है कि सघन घटकों को आरक्षण से बाहर रखा जा सके।

ड) मुस्लिम, सीख और क्रिश्चनों में जाति नहीं होने के कारण यह मापदण्ड नहीं हो सकता।

2. श्री एन.एस. पालखीवाला (जेष्ठ वकील - कानून विशेषज्ञ)

i) धर्मनिरपेक्ष, एकजीनसी और जातिविरहीत समाज यह भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण है।

ii) संविधान के अनुसार जाति के आधार पर फर्क करने का प्रावधान न होकर भारतीय समाज से जाति का पूर्ण रूप से निर्मूलन होना जरूरी है।

iii) पिछड़ापण निश्तिच करने के लिए 16(4) के लिए, जाति यह आधार नहीं हो सकता।

iv) मंडल आयोग के कारण संपूर्ण देश का विभाजन पिछड़े और गैर पिछड़े वर्ग में हुआ है।

v) मंडल आयोग लागू करने पर देश की एकता और अखंडता को खतरा निर्माण होगा।

vi) यदि आधी जगह आरक्षित कर दी गई तो कार्यक्षमता का गंभीर धोखा निर्माण होगा और संपूर्ण देश का पिछड़ेपण में रूपांतरण हो जाएगा।

vii) पिछड़ेपण के कारण गुणवत्ता नष्ट होगी।

viii) इन सभी कारणों से मंडल अहवाल का सरकारी आदेश उनके अहवाल के अनुसार अस्वीकार करना जरूरी है।

Scanned with CamScanner

3) अॅड. राम जेठमलानी (बिहार सरकार की ओर से)

i) धारा 16(4) के अनुसार पिछड़ी जातियां अर्थात केवल शूद्र जातियां, जो उंची जातियां (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य), और पंचमाज या अनुसूचित जाति में से है।

ii) 16(4) यह धारा केवल इन जातियों के लिए होकर अन्य किसी के लिए भी नहीं है।

iii) इन पिछड़ों का शोषण सदियों से होने के कारण उनको पिछड़ापण मिला है।

iv) गरीबी यह पिछड़ेपण का आधार नहीं।

v) कौनसा समाज या जाति पिछड़ी है यह राज्य की सीमा में होकर, यह न्यायालय का काम नहीं।

vi) आरक्षण का प्रावधान यह कार्यक्रम ऐतिहासिक भरवाई है।

4. श्री आर.के. गर्ग (सी.पी.आई. की ओर से)

i) जाति को ही केवल आधार न मानते हुए जाति के साथ गरीबी, स्थान आदि को भी विचार में लिया जाना चाहिए।

ii) ऐसे वर्ग के लिए आरक्षीत सीटें रखने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है।

5. श्री सिवा सुब्रमण्यम (तलिमनाडू राज्य के लिए)

i) पिछड़ों को केवल जाति का ही मापदण्ड लगाना जरूरी है। आर्थिक मापदण्ड स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

6. श्री पी.एस. पोटी (केरल राज्य के लिए)

i) पिछड़ापण निश्चित करने के लिए केवल जाति यही योग्य आधार है।

7. श्री के. पासासरण (केन्द्र सरकार की ओर से)

i) 16(4) के अनुसार आरक्षित पद केवल पिछड़ों के लिए न होकर पिछड़े नागरिकों के वर्ग के लिए है।

Scanned with CamScanner

ii) जति यह कसौटी के लिए योग्य घटक है, इतना ही नहीं बल्कि प्रबल घटक है, अधिकतर राज्यों की सूचियां यह जाति की कसौटियों पर बनाई होकर न्यायालय द्वारा वह योग्य होने का इससे पूर्व घोषित किया गया है।

iii) पिछड़ी जातियों को आरक्षित पद का प्रावधान केवल वह पिछड़ी जाति है इसलिए नहीं बल्कि उनको सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण है।

iv) मंडल आयोग की पिछड़ेपण की कसौटी परिपूर्ण होकर आक्षेपार्ह नहीं है।

v) पदोन्नती में आरक्षित जगह होनी चाहिए अथवा नहीं यह मुद्दा इस जगह अनुचित है, क्योंकि सरकारी आदेशानुसार पदोन्नती में आरक्षित जगह न होकर वह केवल सीधे भर्ती में ही है, इसलिए इस विषय पर निर्णय न दिया जाय।

इसके अलावा अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने न्यायालय के सामने जीरह की। केवल माननीय नाना पालखीवाला और के.के. वेणुगोपाल की जीरह मंडल आयोग की सिफारिश के विरोध में थी। दूसरी ओर प्रसिद्ध विधी विशेषज्ञ माननीय राम जेठमलानी ने बिहार सरकार की ओर से माननीय सीवा सुब्रमण्यम ने तमिलनाडू सरकार के लिए और माननीय पी.एस. पोटी ने केवल राज्य की ओर से मंडल आयोग के सिफारिश के समर्थन में जीरह की।

इन तर्कों के अलावा न्यायालय द्वारा इससे पूर्व दिए गए निर्णय को भी उच्चतम न्यायालय ने विचारार्थ लिया। वे इस प्रकार -

1)	मद्रास राज्य	विरूद्ध	चंपाकम दुराईजन	1951
2)	बालाजी	विरूद्ध	मैसूर राज्य	1963
3)	देवदासन	विरूद्ध	भारत सरकार	1964
4)	चित्रलेखा	विरूद्ध	मैसूर राज्य	1964
5)	राजेन्द्रन	विरूद्ध	मद्रास राज्य	1968
6)	जानकी प्रसाद	विरूद्ध	जम्मू कश्मीर	1973
7)	उत्तरप्रदेश राज्य	विरूद्ध	प्रदीप टंडन	1975
8)	रंगाचारी	विरूद्ध	जी.एम. दक्षिण रेल्वे	1962

Scanned with CamScanner

9) पंजाब राज्य	विरूद्ध	हिरालाल	1977
10) थॉमस	विरूद्ध	केरल राज्य	1976
11) अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ	विरूद्ध	भारत सरकार	1981
12) वसंत कुमार	विरूद्ध	भारत सरकार	1985

उपरोक्त सभी उच्चतम न्यायालय के निर्णय ध्यान में लेने के बाद, कार्यालयीन आदेश और न्यायदान के लिए निर्धारित किए गए प्रावधानों पर, न्यायालय ने 6 विरूद्ध 3 मतों से 16 नवम्बर, 1992 को निर्णय दिया। बहुमत के पक्ष में न्यायमूर्ती एम.एच. कनिया के साथ न्यायमूर्ती एम.एन. व्यंकटचलैय्या, न्यायमूर्ती एस.आर. पाडीयन, न्यायमूर्ती ए.एम. अहमदी, न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत एवं न्यायमूर्ती बी.पी. जीवनरेकृी थे। तो अल्पमत की ओर न्यायमूर्ती टी.के. थोम्मन, न्यायमूर्ती कुलदीप सिंह और न्यायमूर्ती आर.एम. सहाय थे। बहुमत से दिए गए निर्णय का सार इस प्रकार है –

1) धारा 16(4) के अनुसार किए जानेवाला प्रावधान संसद, विधानमंडल अथवा कार्यकारी आदेशानुसार हो सकता है। इसके अलावा, स्थानिक संस्था, कानूनी महामंडल और संविधान की धारा 12 के अनुसार राज्य के अनुसार प्रावधान किया जा सकता है।

2) धारा 16(4) यह अपवादात्मक न होकर वर्गवारी पद्धती का नमूना है।

3) धारा 16(4) यह पिछड़े वर्ग के आरक्षित सीटों के सम्बन्ध में परिपूर्ण है।

4) संविधान अथवा कानून पिछड़ों की वर्गवारी करने के लिए .ती अथवा पद्धती बनाकर नहीं देता। इतना ही नहीं बल्कि, इसके बारे में न्यायलय भी तरीका बनाकर नहीं देता।

5) कुल आरक्षित पद 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए, केवल विशेष परिस्थिति में यह लागू नहीं होता।

6) 50 प्रतिशत का नियम लागू करते समय 'वर्ष' को ध्यान में रखा जाय।

7) 50 प्रतिशत की सीमा यह आरक्षित जगह का बॅकलॉग भरते समय भी

Scanned with CamScanner

लागू है।

8) आरक्षित सीटों के बराबर पात्रता छूट अथवा विशेष सुविधा देना अयोग्य है।

9) 27 प्रतिशत आरक्षित सीटों का प्रावधान यह विज्ञान, प्राद्योगिकी, सेना व्यवसाय, हवाई जहाज चालक, प्राद्यापक इस प्रकार के उच्च श्रेणी के पदों के लिए लागू नहीं।

10) धारा 16(4) के अनुसार आरक्षित सीटों का प्रावधान केवल सीधे भर्ती के लिए ही होकर, पदोन्नती के लिए नहीं।

11) परंतु उपरोक्त प्रकार की व्यवस्था किसी व्यवस्थापन में होने पर वह 5 वर्ष के लिए लागू रहेगी। परंतु इन पांच वर्षो में ऐसे व्यवस्थापन को उसका पुनर्विचार करना पड़े तो उस व्यवस्थापन को संभव है। ऐसा करते समय 16(4) के उद्देश्य प्राप्त होना जरूरी है।

12) पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीटों का विचार करते समय, धारा 335 के अनुसार, कार्यक्षमता इस बात का आदर किया जाना चाहिए।

13) अन्य पिछड़ा वर्ग का उन्नत ओबीसी और पिछड़ा ओबीसी ऐसी वर्गवारी होकर धारा 16(4) के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग से, सुधारित पिछड़ा वर्ग, उदा. कलेक्टर के बच्चे आरक्षित पदों के लिए पात्र नहीं। परंतु यह निर्णय केवल ओबीसी के सम्बन्ध में ही होकर अनुसूचित जाति/जनजाति से इसका सम्बन्ध नहीं है।

14) उन्नत ओबीसी और पिछड़े ओबीसी इस प्रकार विभाजन करने के लिए संविधान तथा कानून के अनुसार राज्य को रोकटोक नहीं है।

15) पर्याप्त आरक्षित पद अर्थात प्रमाणतः आरक्षित सीटें नहीं। प्रमाणतः आरक्षित सीटों का प्रावधान धारा 330 और 332 के अनुसार सीमित समय के लिए किया गया है।

16) उच्च वर्ग के पिछड़े, जिनका वर्तमान आरक्षित सीटों की योजना में समावेश नहीं, ऐसे घटकों को 25 सितम्बर, 1991 के कार्यालय आदेश

Scanned with CamScanner

के अनुसार दी गई 10 प्रतिशत आरक्षित सीटें संविधान सम्मत नहीं होने के कारण ऐसा प्रावधान अवैध है।

17) पिछड़ों की वर्गवारी करते समय केवल आर्थिक कसौटी पर वर्गवारी नहीं की जाय। परंतु, सरकार अथवा व्यवस्थापन इस प्रकार की वर्गवारी, व्यवसाय, वजा उत्पन्न, जाति के अलावा इस घटकों पर किया जा सकता है।

18) दिनांक 13 अगस्त, 1990 का कार्यालय आदेश कानूनन है। तथा 26 सितम्बर, 1991 का आदेश अवैध है।

उपरोक्त के अनुसार मंडल निर्णय का संक्षिप्त, परंतु मुद्देसूद अहवाल इस प्रकार है। इस निर्णय के अतिरिक्त, निर्णय के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए 27 प्रतिशत सीटों पर अमल करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने सरकार को इस निर्णय में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत अथवा निर्बंध लगाए है। वे निर्बंध इस प्रकार है –

1) भारत सरकार और केन्द्रशासित प्रदेश के प्रशासकों की आज से (16.11.1992) 4 चार माह की कालावधी में, पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने के लिए और उसके सम्बन्ध में लगाए गए आरोपों के निपटान के लिए स्थायी रूप से आयोग अथवा मंडल स्थापित किया जाय। इस आयोग की सलाह यह सर्वसाधारण रूप से सरकार पर बंधनकारी रहेगी।

2) आज से 4 माह पूर्ण होने से पूर्व, भारत सरकार ने, अन्य पिछड़ा वर्ग के उन्नत ओबीसी को इस सुविधा से अलग करने के लिए सामाजिक और आर्थिक कसौटी स्पष्ट करनी चाहिए। यह सूचना जिस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित जगह है उस राज्य को लागू नहीं। बल्कि, इन राज्यों ने आज से 6 माह पूर्ण होने से पूर्व ऐसी कसौटी तैयार करके ओबीसी से उन्नत ओबीसी को अलग किया जाना चाहिए।

3) यह स्पष्ट किया जाता है कि, ऐसी कसौटी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत अन्य कही पर भी अर्थात उच्च न्यायालय अथवा न्यायासन के समक्ष नहीं रखी जा सकेगी, इस प्रकार की शिकायत केवल इसी न्यायालय के समक्ष की जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

उच्चतम न्यायालय का निर्णय और शासन को दिए गए आदेश यह सभी जांच करने पर विगत निर्णय की पृष्ठभूमि पर और कल्याणकारी राज्य के सभी समाज समावेषक संकल्पना से देखने पर इस निर्णय से आरक्षित जगह के सम्बन्ध में कई प्रश्नों का उत्तर देते समय नए प्रश्न निर्माण हुए है। संक्षिप्त में, इस निर्णय के कारण नए आव्हान खड़े किए गए है। इस सम्बन्ध में इस निर्णय का टिकात्मक विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है-

1) संविधान की धारा 340 के अनुसार चुना गया यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग इस देश के अनुसूचित जाति-जनजाति की आरक्षित सीटों के सम्बन्ध में नहीं था बल्कि वह भारत के कूल लोकसंख्या के 52 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों के सम्बन्ध में था। इस सभी प्रकार में अनुसूचित जाति-जनजाति का सम्बन्ध न होते हुए भी उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (52 प्रतिशत) के साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति (22.5 प्रतिशत) के आरक्षित जगह के सम्बन्ध में प्रतिगामी निर्णय दिया है। यह नैसर्गिक न्याय का विरोधी होकर अन्यायकारी है। न्यायपद्धती की चौकट के बाहर के निर्णय ऐसा इसका वर्णन किया जा सकता है।

2) निर्णयपत्र पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि, उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति-जनजाति में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं किया। वास्तव में बात ऐसी है कि, अनुसूचित जाति-जनजाति को छुआछूत और जातियता के वि.ती का जितना सामना करना पड़ा, उतना छल, अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं हुआ। इन दोनों समाजघटकों का सामाजिक स्तर विभिन्न तो है ही परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग का सामाजिक स्तर अनुसूचित जाति-जनजाति से उपर है।

3) इस निर्णय के कारण उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के महत्वपूर्ण और स्थापित निर्णय से दूरी बना ली है।

4) 1962 को उच्चतम न्यायालय ने रंगाचारी इस केस में धारा 16(4) के अनुसार नौकरियों की आरक्षित जगह केवल भर्ती के लिए ही न होकर, वह पदोन्नती में भी लागू है, ऐसा निर्णय दिया। 1962 से यह निर्णय न्यायालय ने बदला नहीं था। बल्कि इस निर्णय से न्यायलय ने पदोन्नती

Scanned with CamScanner

को विरोध करके कानूनन अवैद्य होने का निर्णय दिया है। फलत: इस निर्णय से न्यायालय ने संपूर्ण रोस्टर पद्धती को नकारा है।

5) 1976 के थॉमस इस निर्णय से अनुसूचित जाति-जनजाति को पदोन्नती के लिए कुछ दी गई सुविधा वैद्य ठहराई थी। मात्र, इस निर्णय से ऐसी अन्य सुविधा के लिए निर्बंध लगाना क्या यह अनुसूचित जाति-जनजाति पर अन्यायकारक नहीं है?

6) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सेना की नौकरी, प्राद्यापक ऐसे विशेष श्रेणी में आरक्षित सीटे नहीं ऐसा सुस्पष्ट किया गया है। परंतु, इनमें न्यायालय का दोष नहीं। क्योंकि इस सम्बन्ध में मंडल आयोग ने की शिफारिश माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने स्वीकार नहीं की थी। इस कारण सभी पिछड़ों को आरक्षित सीटों द्वारा प्रवेश नकारकर, उच्च वर्णियों के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर, इस श्रेणी में 100 प्रतिशत आरक्षित सीटों का प्रावधान किया है ऐसा कहना पड़ता है।

7) अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति में अकार्यक्षमता आहे, यह आरक्षण विरोधियों की टीका अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय ने उठाकर यह समाजघटक अकार्यक्षम है ऐसा अंशत: तात्विक स्वरूप में स्वीकार किया है यह खेद की बात है। परंतु दक्षिण भारतीय राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में अधिक आरक्षित सीटें होकर भी अकार्यक्षमता के बारे में दक्षिण के राज्य आगे दिखाई देते है इस वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता।

8) उच्चतम न्यायालय ने यदि प्रत्यक्ष रूप में आर्थिकता की कसौटी नकारी है, ऐसा यदि लग रहा है फिर भी, क्रिमीलेअर थेअरी के माध्यम से नौकरी का दर्जा अर्थात पर्याय से आर्थिक कमाई इस आधार पर कुछ पिछड़ों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया है। निर्णय के कारण, भारत सरकार को दिए गए सूचना द्वारा भारत सरकार ने न्यायमूर्ती रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार किया ऐसा समाज कल्याण मंत्री माननीय सिताराम केसरी ने संसद में बताया। इस समिति ने क्रिमीलेअर थेअरी का इस्तेमाल करते हुए, कई सिफारिश के लिए, अधिकतर

ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का काम किया है। उदा. जिस व्यक्ति की वार्षिक कमाई एक लाख है या उनका नौकरी में दर्जा प्रथम श्रेणी का है, ऐसे पिछड़े वर्ग के कर्मचारी के बच्चे आरक्षित सीटों के लिए अपात्र है। क्या यह पूरी तरह से आर्थिक कसौटी पर आधारित नहीं है?

9) कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार द्वारा उच्च वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित जगह रखने का सरकारी आदेश न्यायालय द्वारा अवैद्य ठहराना उचित है। यह प्रावधान राव सरकार का था। मंडल आयोग का नहीं। इसके अलावा भारतीय संविधान में आरक्षित जगह के सम्बन्ध में शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापण यही मापदण्ड स्पष्ट किया है।

10) संक्षिप्त में सामाजिक प्रवर्तन की लढाई में अथवा सरकारी और प्रशासकीय लोकतंत्र की दृष्टी से यह निर्णय प्रतिगामी है। इस संपूर्ण निर्णय पर पूर्वग्रहदूषित गुणवत्ता सिद्धांत, पिछड़े वर्ग के उन्नत और खुदकुशी का दबाव इसका स्पष्ट प्रभुत्व दिखाई देता है। इस निर्णय से यहां की विषमतावादी प्रतिगामी समाजव्यवस्था का ही दर्प आ रहा है ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय का मंडल निर्णय पत्र यह क्रांतिकारी नहीं बल्कि प्रतिक्रांतिकारी होकर इस निर्णय से आनेवाले तुफान की नींव रखी है। इस निर्णय से गणतंत्र भारत के सरकारी और प्रशासनिक सम्बन्ध में बहुजन समाज का समावेश, हिस्सेदारी इस दृष्टी से एक मुख्य रूकावट डाली गई है। मंडल निर्णय ने नए आव्हान खड़े किए है।

भारतीय चार्तुवर्ण समाजव्यवस्था

1) ब्राह्मण 3.5 प्रतिशत	}	चातुर्वर्ण समाजव्यवस्था का
2) क्षत्रीय 5.5 प्रतिशत	}	सर्वाधिक लाभदायी समाज
3) वैश्य 6.00 प्रतिशत	}	केवल 15 प्रतिशत

चातुर्वर्ण समाजव्यवस्था का

1. मध्यम समूह जाति (पूर्व के शुद्र और बलि बना समुदाय, अतिशूद्र), 10.5 प्रतिशत बहुजन समाज,

Scanned with CamScanner

2. ओबीसी (3743) जाति में विभाजित भारत की कुल जनसंख्या के

3. अनुसूचित जाति (1500 जातियों में विभक्त) 15 प्रतिशत

4. अनुसूचित जनजाति (1000 जातियों में विभक्त) 7.5 प्रतिशत

मंडल आयोग के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत

1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति

अ-1	अनुसूचित जाति	15.5	प्रतिशत
अ-2	अनुसूचित जाति	07.51	प्रतिशत
कुल		22:56	

2) हिन्दू के अलावा जनजाति और धार्मिक समूह

ब-1	मुस्लिम	11.19	प्रतिशत
ब-2	क्रिश्चन	02.76	प्रतिशत
ब-3	शीख	01.67	प्रतिशत
ब-4	बौद्ध	00.67	प्रतिशत
बी-5	जैन	00.47	प्रतिशत
कुल		16.16	

3) उन्नत हिन्दू जाति-जनजाति

क-1	ब्राईण (भूमिहर सहित)	05.52	प्रतिशत
क-2	राजपूत	03.90	प्रतिशत
क-3	मराठा	02.21	प्रतिशत
क-4	जाट	01.00	प्रतिशत
क-5	वैश्य	01.88	प्रतिशत
क-6	कायस्थ	01.07	प्रतिशत
क-7	अन्य उन्नत जाति	02.00	प्रतिशत
कुल		17.58	प्रतिशत
कुल अ + ब + क		56.30	प्रतिशत

Scanned with CamScanner

4) **पिछड़ी हिन्दू जाति–जनजाति –**

ड.	हिन्दूओं में अन्य पिछड़ा वर्ग	43.70 प्रतिशत

5) **हिन्दुओं के अलावा अन्य जनजाति और धार्मिक समूह**

ई.	गैर हिन्दू अन्य जनजाति और धार्मिक समूह	08.40 प्रतिशत

6) **भारत का अन्य पिछड़ा वर्ग**

ड + ई – कुल	52.00 प्रतिशत

BMC
No

Scanned with CamScanner

मंडल आयोग

द्वारा उन अन्य पिछड़े वर्गों (Other Backward Classes) की सूची जिनको आरक्षण देने की सिफारिश की गई है :

जम्मू और काश्मीर में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम

(१) बकरवाल, बक्करवाल (२) बाजीगर (३) भांड (४) बेदा (ढोल बजाने वाले)(५) भराई तरखान (६) भंगी खाकरोब(७) भाट (८) बनजारा, गौर, बाड़ी, लोवाना (९) भरूजा (१०) बफन्द (११) बावरिया (१२) चोपन (१३) डमवाली फकीर (१४) धर (मुसलमान) (१५) धोबी (कपड़े धोने वाला) (१६) डूम डूम्ज गासी कसास्व (उन्हे छोडकर जो अनुसूचित जातियों में है) (१७) डोसाली (१८) ढोलवाला (१९) फारदा (२०) मछियारा (२१) गड्डी (२२) गाढ़ा (लोहार) (२३) घराती (२४) गारे-खान (२५) ग्रतिआ (२६) गुज्जर (२७) गुजरी (२८) हज्गाम नाई (२९) हगी (माझी केगल नाव खेने वाला वर्ग शिकारां के मालिकों को छोड़कर) (३०) हिल्का, राजगीर (३१) झीवर (३२) जुलाहा (३३) जोगी (३४) कलार (३५) खटना (३६) खोलिआ (३७) कुल फकीर (३८) कुम्हार (बर्तन बनाने वाले) (३९) लोहार (४०) लोन (४१) मदारी (४२) माहगीरी (४३) मल्यार (४४) मीर (४५) मिराली (४६) मोची, सराज (जूता मुरम्मत करने वाले) (४७)मौन (ढ़ोल बजाने वाला)(४८) नलबन्द (४९)पाड़ा (५०) पारना, परना (५१) पीर (५२) पटहीर (५३) टट्टू-वाला, खच्चरवाला (५४) सासी (५५) शक्सान (५६) शिन (५७) शुपरी बट्टाल (उन्हे छोड़कर जो अनुसूचित जाति में हैं) (५८) सिकलीगर (५९) सगतराश (६०) सराज (६१) सोचीज (६२) तेली (६३) याशकूम

जम्मू और काश्मीर में पिछड़े वर्गों के नाम

(१) बेकेवाल बक्करवाल (२) बादिया (३) बाजीगर (४) भांड (५) भंगी, खोकरोब (मेहतर) (अनुसूचित जाति में उल्लिखित को शामिल न करते हुए) (६) बाराद (७) बंजारा, बादी, लोवाना (८) बंगाला (९) भरूजा (१०) धेवा (११)

Scanned with CamScanner

धोबी (कपड़े धोने वाला) (१२) डूम डूमा गनाई घुसब (अनुसूचित जाति में उल्लिखित को शामिल न करते हुए) (१३) डोसाली (१४) ढोलवाला (१५) फिशरमेन (मछियारा) (१६) गद्दी (१७) गौढीला (१८) गुजमार (१९) हंगी (मांझी किश्ती वाले और नावखेने वाला वर्ग जिसमें हाउस वोट के स्वामी शामिल नहीं है) (२०) हिल्का राज (मेसन) (२१) झीवर (२२) खोली (२३) लाली (२४) मदारी (२५) माहीगीर (२६) मल्यार (२७) मीर (२८) मिरासी (२९) मोची, सराज (३०) पारा (३१) पिरना (३२) संसी (३३) शिप्री बत्तल (अनुसूचित जाति में उल्लिखित को शामिल न करते हुए) (३४) सपेरा (३५) सिकलीगर (३६) संगतराश (३७) सुरिमार (३८) यश्कुन (३९) घेहा (४०) गुर्जमार

हिमाचल प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अहेरिया, अहेरो, हेरी नायक, थोरी, तुरी (२) अदे, पोप (३) आर्य, डोगरा (४) बादी, चिनौरा, मोलोरी ओदमाता, उरनामरा (५) बधाई, बदाई, बराही धोमन, झांगरा-ब्राह्मण, खातो, कोडल, तरखान, तयाल, विश्वकर्मा, रामगढ़िया(६) बागरिया (७) बाहती (८) बरागी, बैरागी(९) बटेरहा (१०) बेदा (११) वेटा, हांसी हासी(१२)भड़भूजा, भरभूजा(१३) भट, भतरा, डरपी (१४) मुहलिथां (१५) छंग, छांहग (१६) छगर (१७) चेलापी (१८) छिम्बे, छीपी, चिम्बा, दर्जी, शोई (१९)चिड़ामार (२०) दइया (२१) धोमर, धीवर घिनवार, झीवर, कहाट, कश्यप, राजपूत-मल्लाह (२२) घोसाली, सोसल (२३) फकीर (२४) गड्डी (उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां अनुसूचित जनजाति के रूप में उल्लेखनीय है) (२५) गडरिया (२६)गबरिया, गौरीया (२७)धाई (२८) घासी, घसियारा, घौसी (२९) धीरथ, धरीत, धरोथगारी चंग(३०)गोदरी (३१) गोरखा (३२) गोवाला, ग्वाला, ग्वार,यादव,अहीर(३३) गूज्जर, गूजर(उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां अनुसूचित जनजाति के रूप में उल्लिखित है) (३४) गुमनियान(३५) हरनी (३६)जोरी (३७)कंधेरा (३८) कन्खर, कन्चन (३९) केहल (४०) कोल्गा (४१) कुम्हादे, प्रजापति (४२) कुर्मी (४३) लहुना (४४) मरासी (४५) मदारी (४६) महातम (४७) मेहरा (४८) नाई, बमनेरू, हजाम, कुलीन, ब्राह्मण, पतियाल (४९) नलबन्द (५०)नार (५१) पखीवारा (५२) पिन्जा, पैन्जा (५३) रब्बन्द (५४) सगरा (५५) सुनार, जरगर, कपिला, सोनी, स्वर्णकार, टोक(५६) सुरेहरा (५७) आविन

Scanned with CamScanner

हिमाचल प्रदेश में दलित वर्गों के नाम

(१) अहेरिया, अहेरो, हेरि, नायक, थोरी, तुरि (२) अर्द-पोप (३) बड़ी, चिसोरा, मेंलोरी, ओड़माटा, उरमामारा (४) बगरिया (५) बाजीगर (६) बहती (७)बदिया (८) बटेरहा (९) बेडा (१०) बेटा, हेंसी, होसी (११) भड़भु जा, भड़बूजा (१२) भहालिया (१३)चंग, चहंग(१४) चगर (१५) चेलोपा (१६)धीमर, धीवर, धींवर, झीवर झींवर, कहार, मल्लाह, कश्योप, राजपूत (१७)धोसाली, सासल(१८)गाद्दी(उन क्षत्रों को छोड़कर जहां इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में विनिदिष्ट किया गया है) (१९) गडरिया (२०) घास्सी, घसियारा, घोसी (२१)गोडरी (२२) गुमटियन (२३) हर्ति (२४) कहार (२५) कधेंरा (२६) केहाल(२७) कोलागा (२८) लबाना (२९) सल्ली (३०) मदारी (३१) मुसलमान बनजारा, मुसलमान गूजर (३२) मेहरा (३३) मिरासी (३४) सुरूरा (३५) थाविन

पंजाब में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अहेड़िया, अहेड़ी, नायक, थोरी, तुरी (२) अराईन (३) बागल, बटालिया, भुट, डांगी, धारने, हीर, हरबसिया, जालारिया, कौशल, मनाडिया, मटवंसिया, मानेम, मासौन, मैहतों मूले, नागिया, परमार, संगुतवा सियाल, थुनालिया, (४) बागड़िया, बागारिया(५) बैरागी (६) बड़ाई, तरबोली, टम्बोली (७) बरवाड (८) बाटेरा (९) बेरिया (१०) बरड (११) बेटा, हेनसी, हेसी (१२) भाडभूंजा, भाड़भुजा (१३) भाड़ी, रोडे (१४) भटरा, भट्ट्ट, डरपी, डिगपाल, रनिया, राणा राठौर, राओ, स्वाली(१५) भूहलिया (१६) भूरा ब्राह्मण (१७) चाहंग (१८) चंगड़ (१९) चिंब, बातू, छीवे, छीपि, छींबा, छीम्पा, दर्जी, धामी जस्सल, करीड़, कैथ, मदाहर, पूर्वा, रेखराय, सप्पल, साराओ, सिरसा, सराओ, टैक(२०) चीरथ (चाहंग व बाहडी सहित) (२१) चिड़िमार (२२) दैया (२३) दाकौट, दाहकौट (२४) दाओली, दाओला (२५) दौला सोनी-बरादरी (२६) धेनवाड़ (२७) धीयर, धीवर, धीवार, झीवर, झीनवर, कहार, केश्यपराजपूत, मल्लाह(२८) धोबी, कसब (२९)धोसली दोसाली(३०) ड्रेन (३१) फकीर (३२) गडरिया, गडरिया (३३) गद्दी (३४) ग्वाला, गोवाला, यादव, यादूवंशी, अहीर, ग्वार(३५) घई (३६)घासी, घसियारा, घोसी (३७) गोदरी (३८) गोरखा (३९) गूजर भूमला, गुज्जर निंनवालिया ठाकूर (४०) गवारिया, गौरिया गवार (४१) हरनी (४२) जट्ट्ट (गुटका व चीलों) (४३) झांगड़ा ब्राह्मण, खाटी, विश्वकर्मा (४४) जोगी, नाथ (४५) जोलाहा, धावेर, धुनां,

Scanned with CamScanner

कबीर पंथी, (अनुसूचित जातियों से जो बाहर है) (४६) कम्बोज, बाला, कम्बोह, मासोक, नंदे थंड़ (४७) कजड़, कनचन (४८) केहल (४९) खनघेरा (५०) कूचबंद, कुछबंद (५१) कुम्हार, आहीतन, धम्मर, घुमार, हसनवाल, जोपा, कीर, लंगोत्रा, लेहरी, नरहिया, प्रजापति, सनमोर, सोहल, तालफेल,जल्फ (५२) कूरमी (५३) लाखेडा, कनिहर, मनिहर(५४) लम्बाना भगतावा, धोत्रा, ककनिया, लाबाना, लोहाना, लोबाना, बनजारा, लवाना पेलिया (५५) लोहार बाखों, बम्सा, भाटी, भूही, बिरदी, चन्ना झीटा लुहार, फुल, रूपपरा, संधु, सेहामी, विर्दी (५६) मदारी (५७) महाशा बजगल, साहुंता (५८) महात्मा (५९) मीणा, मीना (६०) मेवाती (६१) मीरासी (६२) मोची(जो अनुसूचित जातियों में शामिल नही) (६३) नाई बनबारु धनवाल, धारी, घांगस, घीरी, हज्जाम, हाजम, हेडगन, जालान, लेखा, नागी, नाई सिख, पालान, पंजू, पातारा, राजा (६४) नलबंद (६५) नर (६६) नव-बदिस्ट, न्यू-बुदिस्ट (६७) नूनगर, ननगर (६८) पकरवी वाड़ा, (६९) पिनजा, पेनजा (७०) रचबंद, रेचबंद (७१) राय सिख (७२) रामगड़िया, बिमरा, बरड़, बुमराल, चन, धीमान, कलसी, मठारे, मुखे, राम गढ़िया, सग्गु, सहोता, सन, सरन, तरखान (७३) रिएगढ (७४) रिहाड, रेंहड़, रेहाडे (७५) सैनी (७६) शोरगीर (७७) सिंधीकट, सिंधीवाला (७८) साई (७९) सुनार, अशतात, भट्टी, घूमें, जूरे, कांडे, करवाड़, शीन, सुनियारा, सुर, स्वर्णकार (८०) तागा (८१) तेली (८२) ठठेरा, तमेरा (८३) अनुसूचित जातियों से दीक्षित ईसाई

हरियाणा में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अहेरिया, अहिरिया, हेरो अहेरी, नायक, थोरी, तुरी (२) अहिर, ग्वाला, राव, यादव (३) बागड़िया (४) बालासरिया, भगत, भारा गागन, कनवान, कवलडल, कावडे, खोरी, कुन्नकानी, लौदा, लोघे, लौदिया, मंडी, निवान, रासका, थोरा (५) बंजारा, बनजारा, नट, बनजारा, कजर, कचहन (६) वरागी, बैरागी (७) वराई, तमोली (८) बरहई, बीमराव, दादापी ढाक्ल, धीमन, जनगर, जनगिद ब्राह्मण, जंगरा ब्राह्मण, खाटी, कश्यप, रामगरिया, मानीथिया, रजोतिया, सुधार खान, विश्वकर्मा (९) वर्मा (१०) बर्रा (११) बरबार (१२) बटेरा (१३) बेरिया (१४) बेरा, हरसी या हैसी (१५) भरभूजा, भूरभुन्जा कलेनरा (१६) भट, भटरा, चारण, दरपी रमिया (१७)भूवलिया लोहार, गढ़ी लोहार (१८) भुरा-ब्राह्मण (१९) चागर (२०) चंग (२१)छिम्बा, चिम्बा दर्जी, सोई (२२) छिपी, भाटा, मोचेला, पडला, रोहिता, उन्तल (२३) चिड़िमार(२४) डकोत, भार्गव, डकोत, ज्योतिष, रणसाहब (२५)

Scanned with CamScanner

दाओलो, दाओला (२६) धनवार (२७) धैया, धैया, डैया (२८) धीमर, मल्लाह, कश्यप, राजपूत (२९) धोबी, बाथम, चौहान भट्टी खुदानेया मोनसोन, राजपर, तनवर (३०) घोसली, डोसाली (३१) गडरिया, बघेला, बरेला बैर, विलरा, होरानवल, कलानलिया पोडनीवाल पल, शिवया (३२) गद्दी (३३) गण्ड़वाल, गगवा (३४) गवारिया, गौरिया, ग्वार (३५) घासी, घोसी, घसियारा (३६) गिरध, गिरथ (३७) गोदरी (३८) गोरखा (३९) गुजर, बहर,वरवाल, मनोत, चर, कुलसन, मगरिया, पाताजी, रावलसगी, (४०) गुटकाजाट, छिल्लनजाट (४१) हरनी (४२) झीमर, , अटलस, बिदरन, बोरे घीवर, दुगलन, दौरा, चितरे, झेवर, झिमर, जीभर, कहार, किरनल, लभसार, मलरी राघव टाला (४३) जोगी, बाल, छिल्लर, फकीर, गंदी, नायगोलिया पाढा, पोबार, रीवाल, रूपेल, तनवार, तूर, सिहग (४४) जूलाहा (बुनकर) (४५) कम्बोज, बगवा, बगवाई लागले, गद्धी, गगवाहक जंगला, पाधे प्रधान कम्वाह (४६) खेल (४७) खगहेरा (४८) कूचबन्द (४९) कुम्हार, प्रजापति (५०) कुर्मी (५१) लावना, लोवाना (क्र.सं.५ के यथानुसार) (५२) लखेरा, चान, मनिहार, पनिहार, फनियार (५३) लुहार, लोहार (५४) मदारी (५५) मधया (५६) महात्तम (५७) मीना, मीणा (५८) मेवाती (५९) मीरासी, गथाना, हाल्वे, कुचरा (६०) मोची (६१) नार (६२) नाई, अमरेवाल, बनबोरी दिंधिया, हज्जात, हाडी जाडीवाल, जापी जुम्बा कैला, कैथ, कुलीन, ब्राह्मण मातवल, नापित, निओगी पानवार, राजवान, ठाकूर (६३) नलबन्द (६४) नूनगढ़, नूनगर (६५) पाखीबारा (६६) पिनजाली, पिनजा (६७) रचबन्द (६८) रायसिख (६९) रेहर, रेहरा, रिहर, रिआ (७०) सैनी (७१) शोरगिर (७२) सिंगोकान्त, सिगोवाला (७३) सुनार, अस्था, चगनारा बावर कागरा करीद, कटवीरया, लाम्बा, माहिज, माडवा, सराफ, श्रीसिवान, सोना, स्वर्णकार, भिंगो, उरबाल, श्री साहाल (७४) तागा (७५) तेली, इसारी, कनाला (७६) ठठेरा, टेयेरा, ठाठेरा, कसेरा, टमकार.

हरियाणा में पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अहेरिया, अहिरिया, हेरी अहेरी, नायक, थोरी, तुरी (२) बगारिया (३) बंजारा, बंजारा, ग्वार, बादी (४) बारा, बेरा (५) वर्मा (६) बरवार (७) बट्टेरा (८) बेरिया (९) बेटा, हेराई, अथवा हेसी (१०) भड़बुजा, भड़भुन्जा, कालाबेरा (११) चूरिमा (१२) डाकौटा, डाकोटा ज्योतिषी (१३) दाओली, दाओंला (१४) धनवार (१५) दिल्ली पुरिया (१६) धीमर, मल्बाह, कश्यप, राजपूत (१७) धोबी, बाथम, चौहान भट्टी खुदोनिया मोनसोन, रोजपार, तंवर (१८) घोसाली, दोसाली

Scanned with CamScanner

(१९) गडरिया, बघेला, बरेला, वियार विलरा, होरन-वाल, कलनलिया पडनोवाल पाल, शिबिया (२०) गद्दी (२१) घासी,घसियारा, घोसी (२२) धिरध, धिरथ (२३) गोडरी (२४) गोरखा (२५) मारनी (२६) झीमर, अतलास, बिदरान, बीड़ा, भिनवार दुग्लान, डोरा, धित्रा झेवर, झीवार, जोमर, कहार, किरनाल, लभसार, अलड़ी, राधप, ताला (२७) केहल (२८) खधेरा (२९) लबाना (३०) लासी (३१) मदारी (३२) माधिया (३३) मीना, मिना (३४) मिरासी (३५) मोची (३६) नार (३७) नूनगर, नुनगर (३८) रचबंद (३९) रेहाड़, रोहाडा, रिहार, रेस (४०) शोरगिर

दिल्ली में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अब्बासी, भिश्टी, साका (२) अगरी खरवाल (३) अहीर, यादव, ग्वाला (४) आराईन, रायी, कुंजरा (५) बढई, बारहाय, खाटी तरखान, जांगरा-ब्राह्मण, विश्वाकर्मा (६) बाडी (७) बैरागी (८) बैरवा, बेरवा (९) बानरवाला (१०) बराय, तम्बोली (११) बारी (१२) बोरिया (१३) बाजीगर, नट, कालंदर (जो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं) (१४) भुभालिया (१५) भंड़ (१६) भारभूजा (१७) भट्ट (१८) भटियारा (१९) चक (२०) चरन, गदवी (२१) छीपी, टांक (२२) चिड़ीमार (२३) डाफली (२४) दैया धेया (२५) दाकौट-पराडे (२६) दर्जी (२७) धिनवर, झीवर, निशाद (२८) धोबी (जो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं) (२९) धुनिया, पिजारा, कधेर घुमनेवाला (३०) फकीर (३१) गच मंड़ेवाला (३२) गडरिया (३३) गद्दी, गारी (३४) गाधेरी (३५) घसियारा (३६) घोसी (३७) गुजर, गुरजर (३८) हरनी (३९) हरबी (४०) जल्लाद (४१) झटकिया सिक्ख (४२) जोगी, गोस्वामी (४३) जुलाहा, मोभिन (जो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं) (४४) काछी, कोएरी, मुराई, मुराओ (४५) कहार, काश्यप (४६) कलाल, कलवर (४७) कानगर (४८) कानमाईली (४९) कसाई, कसाब, कुरैशी (५०) कासेरा, तिमारा,ठठेरा, ठठियार (५१) कठपुतली-नाचनेवाला (५२) केवट, मल्लाह (५३) खटगुणे (५४) खटीक (जो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं) (५५) कुम्हार, प्रजापति (५६) कुरमी (५७) लुबाना (५८) कारबेरा, मनीहर (५९) लोधी, लोधा, लौंध, महालौध (६०) लुहार (६१) माछी, मछेरा (६२) महापात्र (६३) माली, सैनी, सौथिया, सागरवंशीमाली, नायक (६४) मसनिया जोगी (६५) मीमर-राज (६६) मीणा (६७) मिओ, मेवाती (६८) मेरासी, मिरासी (६९) मोची (जो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं) (७०) नाई, हज्जाम

Scanned with CamScanner

नाई (सविता) (७१) नलबंद (७२) नक्काल (७३) पाखीवारा (७४) पाटवा (७५) पठार चेरा, संगत राश (७६) रंगरेज (७७) रायक्वार (७८) सैज (७९) स्थाई (८०) सुनार (८१) तागा (८२) तागाह (८३) तेली

उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अगड़ी (२) अहिर, अहीरिया (३) अहीर, घोसी, ग्वाला, यादूभंगी, यादव (४) अनसारी (५) आरख (६) औजी (७) बदक (८) बैरागी (९) बैरी (१०) बाजीगर (११) बखारिया (१२) बंदी (१३) बंजारा, बजारे, नल, नायक, नाईक, कांगी, सीकरीबंद, लबाना, धनकुट्टे, बंजारा बंजारा सिख, वृजवासी (१४) बढ़ई, बढ़ाई, बराए, चौवासिया, जंगद ब्राह्मण, खाटी, कुलाश, लोटे, पंचाल, तरखान, विश्वकर्मा (१५) बारी (१६) बौरा (१७) बौरियाह (१८) बायर (१९) बाजगर, बाजीगर (२०) वेड़िया (२१) बेहाना (२२) बेरियाह (२३) भर (२४) भठियारा (२५) भील (२६) भुल (२७) भुरजी, भारभूजा, भुज, भुजिया, कांडू, काशोधे (२८) बिंड (२९) चनाल (३०) चिक (३१) चिकवा (कसाब)(३२) चुनाल (३३) चूनेरा (३४) दाफोली (३५) दालेरा (३६) दर्जी, छिपे, छीप्पी, डमढू, सुरजिया (३७) धारी (३८) धोबी, रजक (जो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं) (३९) धोली (४०) धुनिया, कठोरिया, नडाफ (४१) फकीर (४२) गड़रिया, गानडी, गड़ेरिया, गरेरिया, पाल (४३) गधिया (४४) गंधर्व, भातू (४५) गंधिला (४६) गिधिया (४७) गीरि (४८) गौरह (४९) गोसाईन (५०) गुजर (५१) हलालखोर (५२) हलवाई (५३) हंकिया(५४) हुरकिया (५५) जामूरिया (५६) जोझा (५७) जोगी (५८) कबाड़िया (५९) काछी, कौरी, कुरबा, मौर्य, मुरार, नलदीह नरदीहा (६०) कहार, धाधन, धीमर, धीवर, धुरू,काश्यप, मेहरा (६१) कालंदर (६२) कालार (६३) कसाई (६४) कासगर (६५) केवट, बंसी, चाई जलेहार, खरसा, माझी, मस्लाह, निशाद (६६) खरैवा (६७) खनगर (६८) खरोट (६९) किनघरिया (७०) किसन (७१) कोयरी (७२) कोली (७३) कोलटा (७४) कोष्टा (७५) कोटवार (७६) कुम्हार, चकबिया, चाकीरे, कोहार कुम्भार, प्रजापति (७७) कुजदा, राईन (७८) कुरमी (७९) कुटा (८०) लोधा, लोध (८१) लोहार, अंबगर, लुहार, मिस्त्री, रूरिया (८२) लूनिया, लोनिया (८३) माली, सैनी (८४) मनीहार, लाखेरा (८५) माझी (८६) मरछ (८७) मेवती (८८) मिरासी, मेरासी (८९) मोची (जो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं) (९०) मोमिन (असर) (९१) मोराओ, मोराई

Scanned with CamScanner

(९२) मुस्लिम बंजारा (९३) मुस्लिम-काभश्त (९४) नदकल (९५) नाई, जाकूर, हज्जाम, खावा, नापित, नौ, ओरे, श्रीवास, सविता (९६) नव-बौद्ध, न्यूबौद्ध (९७) नट (जो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं) (९८) ओधिपा (९९) ओरह, ओड़ (१००) पहरी (१०१) पौरी (१०२) पावारिया (१०३) राज (१०४) रंगरेज (१०५) रोनिऔर (१०६) सपेरा, कलवेलिपा (१०७) सौन (१०८) सुनार, स्वर्णकार (१०९) टगाभट (११०) तमेली (१११) टमरा (११२) टनटी, टखा, टनटरीपाल, पटवा (११३) तेली, साहू (हिंदू व मुस्लिम दोनों) (११४) ठाठेरा, कसेरा (११५) तीखा (११६) तूरी

बिहार में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अवदाल (२) अनेरिया (३) अधोरी (४) अगुरी-वैश्य, सुडी हलवाई रोनियार पंसारी, मोदी, कासेरा केशरवानी, कथेरा, सिदुरिया बनिया, महरो-वैश्य अवध-बनिया, कैथ-बनिया (५) अम्पात (६) वैगड़ू (७) बनपार (८) बरई (९) बारी (१०) बांलफोड़ (११) बखाड़ा (१२) बेलदार बचगोतरा (१३) बेलदिया (१४) बनटकर (१५) भार (१६) भड़भूजा (१७) भास्कर (१८) भाट/भट्ट (१९) भटियारा (मुस्लिम) (२०) भुईहार, भुईयार (२१) बिन्द (२२) बोंजना (२३) चंन्द्रवंशी (कहार) (२४) चैन, चाइन (२५) चानोऊ (२६) चेपोटा (२७) चेटवाल (२८) चोक (मुस्लिम) (२९) चुडीहारा, मनीहार (३०) डफलानगो (मुस्लिम) (३१) अफाले (३२) डांगी (३३) धेवर (३४) धामिन (३५) धनकार (३६) धनुक, पुखा (३७) धानवार (३८) धारी (३९) धाकारू (४०) धिमर (४१) धुनिया, धुमिया (४२) फकिरा (मुस्लिम) (४३) गदावा (४४) गड्डी (४५) गाड़ीहार (मुस्लिम) (४६) गाण्डा (४७) गन्धर्व (४८) गन्गाई (नागेश)(४९) गंगाटी, गंगाथ (५०) घाटवार (५१) गुसुरिया (५२) गोंदी (चावो), गोधी (५३) गोदरा (५४) गोखा (५५) गोनराह, गोरह, गोथाहम (५६) गौड (५७) गोड (५८) गुलगलिया (५९) हज्जाम (अवाधिया, कानोधिया, कावा, नाई, नाईया, नापित, नाया, टाकुर)(६०) हिमा, करंजिया, कासार, (मुस्लिम) (६१) इडिरीसी या दर्जी (मुस्लिम) (६२) इरिका (६३) जादुप (६४) जोगी, जोगो, जुगी (६५) जुआंग (६६) जुलाहा (६७) कबाड़ी (६८) कादार (६९) कावजी (७०) कहार, चंन्द्रबोरई, छत्रपति, चोतरा वंशी, रामानी, रावनी, पनेरी (७१) काईबारटा (७२) कलन्दर (७३) कलवार (७४)कामर, बढ़ई, काकित मागिया, मघईदा मिस्त्री नागवंशी विश्वकर्मा (७५)

Scanned with CamScanner

कामकार (७६) कांदरा (७७) कानू (७८)कापडीया (७९) कारवालनट (८०) कस्साव (कसाई) (मुस्लिम) (८१) कौरा (८२) कावार (८३) केला (८४) केवट (८५) खण्डबार (८६) खगर (८७) खटीक (८८) खटवा (८९) खटवे (९०) खेलता (९१) खटोरी (९२) खिसार (९३) कोच (९४) कोली (९५) कोरकू (९६) कोसटा (९७) कुमार, भाग पहाड़िया (९८) कुम्हार, छत्रपति, कोभालकर, कुम्भार, कुम्भकार, प्रजापति (९९) कंजड़ा (१००) क्रितिरिया (१०१) कुरमी (१०२) कुशवाहा (कईरी)(१०३) लाहेरी (१०४) लालबेगी,भंगी (मुस्लिम) (१०५) लोधा (१०६) लोहार (१०७) मादार (१०८) मदारी (मुस्लिम) (१०९) महिश्या (११०) माहतो (१११) माहुरिया (११२) मजवार (११३) मालार (मालहौर)(११४) माली (मालाकार) (११५) मल्लाह, बोरहार, गायोत्री, घटवाल, झलवार, केवट, कुरवाहा, माहेटा, माझी, मुरथोनी, फूटानट,फुरिहया निशाद, धोबी, धीवर, झीवर, झीमर (११६) मामगम (११७) मानगर (मागर) (११८) मारकण्ड (११९) मोरिओं (१२०) मिरासिन (मुस्लिम) (१२१) मिरशिकार (मुस्लिम) (१२२) मोमिन (मुस्लिम)(१२३) मेडलोक (१२४) माकरो (मुकेरी) (मुस्लिम) (१२५) नालबन्द (१२६) नामशूद्र (१२७) नट (मुस्लिम)(१२८) नव बुद्धिष्ट, नव बौद्ध (१२९) नोनिया, खरवार नुनिया (१३०) पाहिरा (१३१) पाल (भौरीहार गढ़ेरी), गडंरिया (१३२) पमारिया (मुस्लिम)(१३३) पांड़ी (१३४) पारया (१३५) पत्थर, कुट, बाचीगोलिया (१३६) पटनायक (१३७) पटवा (१३८) फुटघार (१३९) तिगंनिया (१४०) प्रधान (१४१) राजभार (१४२) राजबोशी (रिसिया और पोलिया) (१४३) राजधोब (१४४) रंगवा (१४५) रेरेज (मुस्लिम) (१४६) रउत्तिया (१४७) राईन (१४८) संगतराश (१४९) सोण्टा (सोटा) (१५०) साव (मुस्लिम)(१५१) शिवहारी (१५२) शियाल (१५३) साघर, नोयर (१५४) सुनार, बकवार, सोनार, स्वर्णकार (१५५) सुनरी (१५६) तामरिया (१५७) तम्बोली (१५८) तमोली (१५९) तानती, ताती, तातिन, तटवा, स्वाती (१६०) तापोली (१६१) तेली (१६२) ठकुराई (मुस्लिम) (१६३) ठारू (१६४) ठठेरा (१६५) टीकुलहार (१६६) टियार (१६७) तुरहा, साओ (१६८) यादव,(ग्वाला, अहीर, गोप, नवशेष घासी).

बिहार में पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अब्दल (२) अगारिया (३) अधीरी (४) अमात(५) बागड़ी (६) बाजीगर (७) बनपार (८) बंगाली (९) बारी (१०) बम्फोर (११) बेखादा (१२) बेलदार,

Scanned with CamScanner

बचगोत्रा, सपेरा (१३) बेल्दिया (१४) बंटकार (१५) भड़ (१६) भड़भूजा (१७) भूईहर, भूथ्यार, भूभालिया (१८) भिंद (१९) बिलजिना (२०) चंद्रवंशी (कहार)(२१) चैन, चाइन (२२) चानऊ (२३) चपोता (२४) चेटवाल (२५) देवहर (२६) धामिन (२७) धनबार (२८) धनबार (२९) धनवार (३०) धेकारू (३१) धेहा (३२) धीमर (३३) धुनिया, धुमियन (३४) गडाबा (३५) गन्धर्व (३६) घुटवार (३७) घूसुरिया (३८) गोडो (छायो), गोदी (३९) गोडरा (४०) गोसरवा (४१) गोनरह, गोरह, गोध, गोथाहम (४२) गोड (४३) गल्गालिया (४४) इरिका (४५) जादूप (४६) जोगी (४७) जूआंग (४८) कबाड़ी (४९) केदार (५०) कहार, चन्द्रबोराई, छत्रपति, छोत्रा–बसी, रामानी, सरबानी पनेरी (५१) कलवर (५२) कामकार (५३) कान्द्रा (५४) कापडिया (५५) करवलनत (५६) कवर (५७) केला (५८) कील (५९) खदवार (६०) खानगार (६१) खातिक (६२) कोलि (६३) कोरकू (६४) कुमार भाग पहाड़िया (६५) कंजर, धारा (६६) कितिरिया (६७) लालबेगी, भंगी (मुसलमान) (६८) मादर (६९) माहुरिया (७०) मझवार (७१) मल्लार (मल्होर) (७२) माली (मालाकार) (७३) मल्लाह, बिरहा, गोयत्री, घटवेल, जलवार, केवट, कुरवाहा, महेता, मांझी, मुनियानी, मसूरिया, फूट्ट, पुरहिया, निशाद, घोषी, धीवर, घीवर, झीमर (७४) मंगन (७५) मांगर (मागर) (७६) माकांडे (७७) मारवाडी बोरिया (७८) मोरियारो (७९) नामशूद्र (८०) नोनिया, खरबत, नूनिया (८१) पाहिरा (८२) पाल, (भेरिहार–गादेरी) (८३) परया (८४) पाथेरकूट, बाचिगोलिया (८५) पटवा (८६) पिंगानिया (८७) राजधोबी (८८) रंगवा (८९) संगतराश (९०) सोता (९१) सोइर, सोयर (९२) सनरी (९३) तमारिया (९४) थारू (९५) बाथेरा (९६) तियार (९७) तुरहा, साओ

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम

(१) आदिधर्मी (२) अधोरी (३) आदि कर्नाटिका (४) अहेरी (५) अहिर, ग्वाला, गौंआला, ग्वाल, कंस, ठाकूर, जादव यादव (६) असरा (७) अथिया (८) औधे, अवधी (९) औंधिया (१०) बादक (११) बादका (१२) वडई, आदे गौर चौरसिया, पनसरी, सतार, सुथार, टोड़ोलिया विश्वकर्मा (१३) बादी (१४) बाडिया, बीजा, बीरीया, डुकर, कोलथाटी, कोलहाटी (१५) बादीगर (१६) बाफिया, बारी, वावर, पायक वैधानाई (१७) बाजगर (१८) बहुरूपी (१९) बैरागी (२०) बंजारा, गौर, बंजारा लम्बाना, लम्बारा, लम्भानी, चरन बंजारा, लाभम, मथुरा, लाभन,

Scanned with CamScanner

कचीरी, वाला बंजारा लमन बंजारा, लमन-लम्बानी, लबन, घानी, धालिया, धाडी, धारी, सिंगारी, नवी बंजारा, जोगी, बंजारा, बंजारी, मथुरा बंजारी बामनिया बंजारा (२१) बौरिया (२२) बारागाही, लबाना लभन, लमामे, मथुरा, नायकदा, थुरिया (२३) बढ़ई जम्बाली (२४) बरोई (२५) बरार (२६) बरारी (२७) बरगी (२८) वरहाई, कुड़ेरा, बरहाई सुतार (२९) बारी, बारई (३०) बारिया (३१) बरहुडा (३२) बासदेवा, वासदेव, वासुदेवा (३३) बासुदेव, हरबोला, जागा, कपाड़िया, कपड़ी धुनिया, धुमियन (३४) बाबेर (३५) बवारिया (३६) वजानिया, कनाटिया (३७) वेहा, पिंजारा, धुनिया (३८) बेमरहिया (३९) बंगाली (४०) बेरिया (४१) भादीवड्डर, माटीवड्डर, वड्डर (४२) भादूजा (४३) भादरे (४४) भाधूरिया (४५) भामता, भामती, भंता, भानपत (४६) भंड (४७) भनतु (४८) भरारी (४९) भारभुंजा (५०) भारेवा (५१) भरिया, भारीहर (५२) भारूद (५३) भट, चरन, ब्रह्मभट, जासोंधी, मारी, मारू, सोतिया सालोई, सलवी (५४) भटियारा (५५) भावसर, चिप्पा, नीलगर, नीराली रंगरेज, रंगारी (५६) भीमा (५७) भिश्ती, भिसती (५८) भोए (५९) भोट (६०) भोयार (६१) भुजवा (६२) भुरतिया (६३) भूटिया (६४) बिडाकिया (६५) बीडिया (६६) बीजोरिया (६७) बीरेका, गोपाल (६८) वृजवासी (६९) कौलोटा, कोलोटा (७०) चंद्रा वेडिया (७१) चीपर (७२) चीतारी (७३) चिपी, दर्जी, मेरू (७४) चुनगर, चुनकर (७५) दलगर (७६) डाफाली, धोली (७७) दाहेज (७८) दाना (७९) दांगी (८०) देशवा, देशवालु (८१) देशवाली, दीवांग, जद्रा, कुसकाटी (८२) चारूड, भंडारी, नगर, सिंघवी, तालाया (८३) धानकिया, धानक (८४) धनगर बागला, गदरी, गदरिया, हटगार, हटकर, कुरमार (८५) धीमन (८६) धीमर, वेनुआ, बनावर, भारजी, घीमर, केवट, रायकइ, रेकवार, साय मारी (८७) धीकर (८८) धीवर, बरेटिया, नावदा, इंजिंग भुई (८९) धोबी (जो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं) (९०) धोली (९१) धुनिया, नद्दाफ (९२) धुनकर, काड़ोर (९३) फकीर, फकीयर, साई (९४) फकीर बंदर वाला (९५) गदोल, गदोली, लाँगोलीहा, लेहपित (९६) गदरी गारी (९७) गाहामंदी (९८) गौली, लिंगायत-गौली (९९) गंड़िया (१००) गियारी (१०१) गड़वाल (१०२) गारी (१०३) गरपगरी नाथ (१०४) गरवाड़ी, गराडी (१०५) गवारिया (१०६) घामी (१०७) घारिया (१०८) घाटी, घारे, घाट्टी, घासी (१०९) गोचाकी (११०) गोधी (१११) गोंधाली (११२) गोंटिया (११३) गोपाल, पंगला-गोपाल (११४) गोसाईन, भारती, गेरिया, गोसाई, गोस्वामी, गोसेव (११५) गोसंगीवार (११६)

Scanned with CamScanner

गोवटिया (११७) गुजर, वद-गूजर, दगर-दहावी, दास (११८) गुराओ (११९) हरबुरा (१२०) हज्जाम (१२१) हाजूरी दारोगा (१२२) हलवाए, हलवाई, कन्याकुबज, वैष (१२३) हरनी (१२४) हेला (१२५) हुगा, लोहार, लोह पेठ जादव जागा जंड (१२६) जंगम (१२७) जांगड़ा, जसौघी, जनमस लोधी (१२८) झाडी सुनार (१२९) झमराल (१३०) झारी (१३१) जिनगर (१३२) जीगदे (१३३) जोगी (१३४) जोगी नाथ (१३५) जुलाहामोमिन (१३६) कबर, कालेरी, कबारी (१३७) कबीर पंथी, रामदासिया रवि दासिया (१३८) काचर (१३९) काचेरा, लाखेडा (१४०) काछी, कुश्वाहा, क्षत्रीय-कादोर (१४१) काडेरा, कानवाल (१४२) काडोरे (१४३) कहार (१४४) कायकरी (१४५) कलाल, कलर, कापडी (१४६) कालूंदर (१४७) कालोटा (१४८) कमरिया (१४९) कंडेरा (१५०) कानेर (१५१) कंगर, बटवालो (१५२) कन्नाटिया (१५३) कपाड़िया (१५४) करन (१५५) करार, कीर (१५६) कसबी (१५७) कसब, कसाब, कसाई, कुरैशी कुसाव, कसव (१५८) कसेरा, जमेरा, कसर (१५९) कौरी, कौरी कोदर (१६०) किरार, कीराड़ (१६१) खांगरा (१६२) खारोल, तेलगु-मुनर कापू (१६३) खरवार (१६४) खटका, खटिया (१६५) कीर (१६६) कीराड (१६७) किरार, धाकर (१६८) कोदर (१६९) कोरिया (१७०) कोषटी (१७१) कोसटी, चौधरी, कसाता, कोली-केसकाटी (१७२) कोटिल (१७३)कुलबंधिया, कुमावत (१७४) कुमाहरी, कुम्भर, कुम्हार, (जो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं) (१७५) कुमार (१७६) कुम्बी, कुरमार (१७७) कुंजरा (१७८) कुतवार, कोतवाल (जो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं) (१७९) लदिया, लधिया, लारिया (१८०) लांगोलीहा (१८१) लरहिया (१८२) लोधी, हरधा, परिहार, लोधा (१८३) लोहार (१८४) लोमे (१८५) लोनिया, लुनिया, नूनिया, नोनिया (१८६) लोहार, गोहलोट, जीवा, करियार, कविगर, लकमन, मदवार, विश्वकर्मा (१८७) माछी, माली, मरार (१८८) मदगी (१८९) मजहबी (१९०) माला (१९१) मल्लाह (१९२) मांगा (१९३) मंजर, मारा, मथवड्र (१९४) मनकर (१९५) मनीहर (१९६) मारू सौतिया (१९७) मौरिया (१९८) मावी (१९९) मेर (२००) मेबाती (२०१) महाली, नाई, नवी, नहावी (२०२) मिरासी (२०३) गुछिया (२०४) मुराहा, मुरहा (२०५) नायक, नाईक, नयाक (गैर-ब्रह्मण) (२०६) नैता, न्याता, नाटा, नवटा (२०७) नामदेव (२०८) नमसुद्रा (२०९) नाथ (२१०) नवदा (२११) न्यू बौद्ध, नव बौद्ध (२१२) नेरिया (२१३) निराली (२१४) नीलगर (२१५) आडे, वाडेर, वट्टडर, ओडिया (२१६) पद्ममाली, सलेवार साली-

Scanned with CamScanner

सुतसाली (२१७) पदका (२१८) पाहार (२१९) पलहारी (२२०) पनवारी (२२१) पराशर (२२२) पार्थी (२२३) पटका (२२४) पटकी (२२५) पटवा, नामदेव, पथकर, सीपिया (२२६) पायक (२२७) परकी (२२८) पिडारा (२२९) पांवार (२३०) पूतलीगर (२३१) राघवी,रघवंशी (२३२) राजमुरिया, रंगारी (२३३) राजगिर (२३४) राजगोंड (२३५) रंगरेज, रंगरेज, रंगराज, रामगारी, रंगरेध (२३६) राओ (२३७) राऊत, रावत, राओती (२३८) रौतिया (२३९) रावल (२४०) रावल (२४१) रावत, वेडिर, गाहीरा, रस्त, रावर, थेठवर (२४२) रहर (२४३) रोहाडे, सुजहरिया (२४४) रोहर (२४५) रूछधिया (२४६) सैन (२४७) सालवी, साली (२४८) सनौरिया (२४९) सरंजिया (२५०) सरभंगी (२५१) अनुसूचित जातियों में से दीक्षित ईसाई (२५२) शरिया (२५३) सिकलीगर (२५४) सिंगीवाला (२५५) सिचाने (२५६) सीढ़ी (२५७) सौंधिया, चंडेल (२५८) सुनार, सोनर (२५९) तदवी (२६०) तम्बोली, जम्बोली कूमावर, पूराबिया (२६१) तायेरा, तम्बटकर, थाटेरा (२६२) तेली, बदवेक, वालु, राठौर (२६३) थामी (२६४) थोटी, बुराड (२६५) थनवर (२६६) थोरी (२६७) थुरिया (२६८) तीरगर (२६९) तीरवाले (२७०) तीरबाली (२७१) तुरहा (२७२) वैधानाई (२७३) बगरी, बघरी, प्रधान (२७४) वंजारी, वंजारा (२७५) विषनोई (२७६) विश्या (२७७) बनहा (२७८) वासदेव (२७९) यरकिलवार, यरकुला.

महाराष्ट्र में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अगरी, अगाले या कोलन (२) अहीर, यादव, गौली (३) अलितकार (४) अतर (५) औधिया (६) बदक (७) बदिया (८) बगलु (९) बगदी (मारवाड़ बौरी, मारवाड़ वाघरी, सलत वाघरी (१०) बजानिया (११) बहुरूपी (१२) बलरागी, गोसाई, उदासी (१३) बाजीगर (१४) बालासनथानम (१५) बान्दी (१६) बंजारा, बंजारी, बंजारा, मथुरा बंजारा (१७) गौअर बंजारा, लम्बड़ा, लाम्बड़ा, लम्भानी, चरन बंजारा, मथरा. लाभानी, कचीकिवाले बंजारा, लमन बंजारा, लमन लमनी, लबन, धाली-धाला, धादी-धारी, सिंगारी, नवी बंजारा, जोगी बंजारा, बंजारी, शिगडे बंजारा, लम्बाडे, फानाडे बंजारा, सुनर बंजारा, धलिया बंजारा, शिनगदिया बंजारा (१७) बनतू (१८) बौरिया (१९) बारी या बारई (२०) बारिया, कोली-बारिया (२१) बाथिनी (२२) बावचा (२३) बेगर, बेदर, बेराड, नामकवडी, तलवर, वाल्मीकि (२४) बेसदेवा (२५) बेसतर, सचलुवड्डर (२६) भात (२७) भदभुंजा

Scanned with CamScanner

(२८) भामता या घंटी चोर या प्रदेशी पौंग, दसर, उचिला, राजपूत-भामला, भामता, भामती, कामटी, पथुरट, लकरी, ऊचाले (२९) भंड (३०) भंडारी (३०क) भंडारा, बिलावर (३१) भनता (३२) भाराडी, बालसंतोषी, किंगरी वाले, नाथभवा, नाथ जोगी, नाथ पंथी, दावारी गोसावी (३३) भाववेया या तरगला (३४) भाविन (३५) भील्लाला (३६) भीना कोया (३७) भाई, खरवी, धीवर, भोई, जिंगा भोई, परदेसी भोई, राज भोई, भोई, कहार, गडिया कहार, कीरात, मछवा, मनजी, जटिया, केवट, धिवर, धीवर, धीमार, पलेवर, मच्छेद्र, नवाड़ी, मलदार, मलहव, गाधवभोई, खाजी-भोई, खेर भोई, धेवरा धूरिया कहार (३८) भिस्ती या पाखली (३९) भोचार (पावरा) (४०) भूते, भोपे (४१) बिंदली (४२) बुरबुक (४३) बुरूड, मेडार (४४) बुट्टल (४५) चादेर (४६) चुकावाडिया डासर (४७) चमथा (४८) चडाल (४९) चंडाल गाडे (५०) चरन या गाधावी (५१) चारोडी, छारा (५२) चेनचू या चेनचवार (५३) छपराबन्द (५४) धीमूर (५५) चिनताला (५६) चीप्पा (५७) चित्राकथी (५८) चोधरा (५९) अनुसूचित जातियों में से दीक्षित ईसाई (६०) दबगर (६१) दकालेरू (६२) दर्जी (६३) दास या डांगडी दास (६४) देपाला (६५) देवंगा (६६) देवरी, गोसावी, नाथ पंथी (६७) देवदिग (६८) देवली (६९) धनगर, करुबा, कुरुवर (७०) धीमर, धीवर, गावित, हरकतरा, मांगली, मांगोले, पागे, सनदूरी (७१) धोबी, परित, वट्टस, महबल, रजक (७२) धोली (७३) डोम्पारा (७४) फकीर बन्दर वाला (७५) फुतगुडी (७६) गादाबा या गोधा (७७) गघरिया (७८) गदरी (७९) गधवी (८०) गनाली या गंदाली (८१) गनधरप (८२) गंगानी (८३) गारोडी, गारुडी (८४) गरपगरी (८५) गावंडी (८६) घादशी (८७) घीसदी, घीसादी, लोहार, गद्दी लोहार, घीतोड़ी लोहार, राजपूत लोहार (८८) गोला, गोललेवर, गोलेर, गोलकर, गोल्लर (८९) गोंधाली, गोंधाला (९०) गोपाल, गोपाल भोरपिस, खेलकरी (९१) गोसावी, बावा, वैरागी, भारती, गीरि गोसावी, भारती गोसावी, सरस्वती परबत, सागर, बन या वन तीर्थ आश्रम, अरणिया धारीभारी, संन्यासी, नाथपंथी, गोसावी (९२) गोचकी (९३) गुजरथ बौरी (९४) गौरव, गुरौ (९५) हाबूरा (९६) हालपेक (९७) हरनी (९८) हतकर (९९) हेलवे, हीलाव (१००) हिलल-रैड्डी (१०१) जगियासी (१०२) जाजक (१०३) जंगम (१०४) जातीगर (१०५) जटिया (१०६) जाबेरी, जोहरी (१०७) झाडी (१०८) जिनगर (१०९) जोगी, नाथ, नाथ जोगी, गोसाई, देवोरी (११०) जोगिन (१११) जेशी, दुडुकी, ड्मरुवाले, कुडमुडे, मेधंगी, सारोडे, सहदेव जोशी, सरवाडे, सरोडा (११२)

Scanned with CamScanner

जुलाहा, बिनकर, वनकर, वनिया, वनकर (११३) काची, कछिया (११४) काचोरा (११५) कादेरा (११६) कालकाडी (जहा वह अनुसूचित जातीय नहीं) (११७) कोराच, धोनतले, पडलोर, कोरवी (११८) कलाल, क़लर, लड, लडवक, गोंड कलाल, शिवहरे (११९) कामटी (१२०) कम्मी (१२१) कन्डेल (१२२) छारा, कंजर, नट (१२३) कापडी (१२४) कसर कासेरा (१२५) कसबी (१२५ क) कसाई, खटीक, कसाब (१२६) कसिकपदी (१२७) कातबू (१२८) कथर, कथरवानी, कंथाहरवानी (लिंगायतवनी या लाडवनी शामिल नहीं) (१२९) कथी-खाटी (१३०) कटी पमूला (१३१) खरवा या खरवा (१३१ क) करार (१३२) कोहाटी, डोमवारी (१३३) कोली, कोली-सुर्यवंशी, मलहार कोली, ईसाई कोली (१३४) कोरच या चरकूला या कोरवे (१३५) कोरचर (१३६) कोरवा (कोडाकू शामिल है) (१३७) कोमकापू (१३८) कोनडू (१३९) कोनगडी (१४०) कोपूटी, कशकोटी-देवंगा (१४१) कुचबन्द (१४२) कुछरिया (१४३) कुम्भार, कुम्हार (१४४) कुनबी (१४५) कुरहिन शैट्टी (१४६) कुरमर (१४७) लाभा (१४८) लदफ-लद्दफ (१४९) लडिया, लुधिया, लारिया (१५०) लाखेरा, लाखरी (१५१) लनजद (१५२) लोहार, लोहार-गदा, दोदी, रूटवाली, पंचल (१५३) लोनारी-चुनारी (१५४) माछी, तनदेल (१५५) मागा (१५६) महाली, महली (१५७) माहिल (१५८) मायधासी (१५९) मेरल, दनगट, वीर (१६०) मझवर (१६१) माली, फूलमली (१६२) मनभव (१६३) मंगला (१६४) मारवाड़, बौरी (१६५) मसन जोगी, सुदागा-डसिया, मापन जोगी (१६६) मथुरा (१६७) मटियारा, माटीहारा (१६८) मनकर खालु (१६९) मे (१७०) मीणा (१७१) मीथा (१७२) मोमिन (बुनकर) (१७३) मोंडीवर, मोंडीवारु (१७४) मुंडा (१७५) नामधारी पेक (१७६) नंदीवाला, तिरमल (१७७) नकाशी (१७८) नवी, निहावी, हाजम, कलसेरु नवालिया नाभिक, नाई (१७९) नीली (१८०) नीलकांती (१८१) नेकर, जदा (१८२) न्यू बौद्ध, नव बौद्ध (१८३) नीथूरा (१८४) नीलगर, नीराली (१८५) नीड़ शिकारी (१८६) नोनिया (१८७) ओटारी, आटंकर, ओटकर, वटारी, आझारी (१८८) पंच भोटला, पचबोटला (१८९) पधरिया (१९०) पद्यपारी (१९१) पडियार (१९२) पाखली, भिस्ती (१९३) पलपांधी (१९४) पामूला, पंचाल (१९५) पंचामा (१९६) पंडा (१९७) पनगुल (१९८) पनका (१९९) पटकर (२००) पटरादेवेरु (२०१) परकी (२०२) फार (२०३) फासेचारी (२०४) फुदगी (२०५) फुलारी (२०६) पिनजारा, पिनजारी (२०७) पुखाली (२०८) पूतलीगर (२०९) रचबंधिया (२१०)

Scanned with CamScanner

राचेवर (२११) रचकोचा (२१२) राघवी (२१३) रायकारी (२१४) राजपरधी, गाओन परधी, हरन शिकारी (२१५) राजपूत भामता, परदेशी भामता, परदेशी भामती (२१६) रामोशी (२१७) नाओट, रौतिया, रावट (२१८) रंगारी, रंगरेज, भावस्त (२१९) रौतिया (२२०) रावल या रावल योगी (२२१) साही, साईस, शीएं (२२२) साली, पदमशाली, सवाकुलसाली (२२३) संगर (२२४) सांगरी (२२५) सनजोगी (२२६) सनतल (२२७) साओंता या सौता (२२८) साओ-तेली (२२९) सपेरा (२३०) सरनिया (२३१) सारे (२३२) शिलावत (२३३) शिमपी, भावगर शिव झिप्पी, नामदेव (२३४) शिंगदेव या शिंग दया (२३५) सिक्कलगर काटोरी (२३६) सिंधोर (२३७) सिंगीवाला (२३८) सोनर (२३९) सोरे (२४०) सुन्ना (२४१) सुन्नाए, सुथारिया (२४२) सुतार, भाइई वढसी (२४३) सुप्पलिग (२४४) टाकन कार (२४५) टकारी (२४६) तलवर कनाडे (२४७) तमवत (२४८) तमबोली (२४९) तरगला (२५०) तेली, गनीगा, घनची (२५१) ठाक्कर (२५२) ठलारी (२५३) ठेटवर (२५४) थोगती, थोगाती (२५५) थोतेवाड़ू (२५६) थोरिया (२५७) तीमाली (२५८) वाघरी, वाधारी, सालत, सालत वधरी (२५९) वैडू (२६०) वाल्टी (२६१) वालवई (२६२) वंजारी, वंजार (२६३) वासुदेव (२६४) वीथोलिया (२६५) वाड्ड़र, वाड़ढर, (कालवार्डर या पथार ओड, बेलदार ओड़, गिरनी वाड्ड़र) वाड्ड़ार, गद्दी वाड्ड़ार, जाति-वाडड़र, माती वाड्ड़ार, पथारवट (२६६) वाड़ी (२६७) वंजारी, वंजारा (२६८) वंस फोड़ा (२६९) बरठी (२७०) वनाढ़ी (२७१) येनाड़ी वड़्स (२७२) मेरा गोलावाड़ या थेल्ला पमलवड़स.

कनार्टक में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अरीय (कुग जिले को शामिल न करते हुए) (२) अगस, मडिवाल, सकल सकलवड्डू, शाकल, वन्नत मन्नत, धोबी, परित, रजक, पुथिराजवन्नन, वेल्लुथेदन (३) अधोरे, करकमुंडा (४) अरनादन (५) अरूथूथियर (६) अतार (७) अतारि (८) वडग (९) बागलू (१०) बयाटा (११) बैरना (१२) बैलावतर, बैलाप्तर, बिकप्तर (१३) बजानिया, बाजोनिया (१४) वुकद्रा (१५) बालसंतोषी (१६)बन्ट (बेलगांव, विजापूर धारवाड़ और उत्तर कनारा जिलों को शामिल न करते हुए) (१७) बन्तु (१८) बरवा (१९) बरलूर (२०) बधाई, बट्टल, बटलर, बट्टर (२१) अथिनी (२२) बट्टड (२३) बबुरी (२४) बौतर (२५) बसीगर बेड़ा बेडक, वेडर, बेडर नायका, नायक मक्लू नायकवार, पालेयर, तलबार, वाल्मीकि, बाल्मीकि

Scanned with CamScanner

मकक्लू, बोया, बेदन बेरद रामाशी (२६) बागडी, व्यापारी (२७) वेल्लर (२८) बेरिया (२९) बेरिया (३०) बेस्त, गंगमत, गंग-पुत्र भोई, परिवार, कबबेरा, कब्बलीगर, बारीकी, बारीकर, मोगावरा, बेस्थर, बदे, बेस्थर, गगमक्कूल, गोरी मत अम्बिगा, अम्बिग, सृखी, मोई, बोई, थोरेय, हरकांत्र, कहार, मीनगार, सुन्नगार, कोली, गाबित, दामत, कनत (३१) भामता, भाम्पता, रदेशी भाम्पता, टाकरी, उच्छिलियन राजपूत, भाम्पता (३२) भावोत, महराज, भटराजू (३३) भरदी भरागी (३४) भोटटदास, बोटो भट्टड, मुरिया भोट्टढ़, सानी भट्टड़ (३५) भूमाओ-भूरी, भूमिया बीढा भूमिया (३६) बिनपत्त (३७) बिन्दिली (३८) बिंगी (३९) बिस्से, बरंगी जोडिया, बेन्नगी, वादुस, फ्रंगी, बोल्लार, थोरिना, कोल्लल, कोड़े परंगा पंक जोडियाख सोढी और टकीरा (४०) बोगड़-बागड़ी, वागोढी, बागड़ी, वागडी, बागोडी (४१) वुडबुडकी वुडवुडकला, देवारी (४२) चकवड्या दासर (४३) चिंताला (४४) चित्र कथी जोशी (४५) चित्र, चित्रकार (४६) चुहार अथवा चुहरा (४७) चपर वंध (मुसलमान)(४८) दंदासी (४९) डंग-दासर (५०) दासरी, देसारी (५१) धनका, जिसमें ताडवी ततारिया और वाल्वी शामिल है (५२) धरे (५३) धोड़िया (५४) धोली (५५) दिग्वान् जिंजर (५६) डोंबा, डोम्बर डोंवा-औढ़िया, ड़ोंबा-औड़िनिया डोंवा, क्रिश्चियन, वोग्वा, चोनल डोम्बा-निगनी ड़ोम्बा-ओरिया डोम्बा-पोना का, डोम्बा, तेलग डोम्ब (५७) डोग यैरूकला (५८) डोबीदासा, (५९) दुरूग, मुरूम, बरबरचल (६०) गड़व, गडबवोडा, गडबगरिलम, गड़व फंजी, गड़व जोड़िया, गड़ब ओलारो, गड़व पंगी (६१) गंगनी (६२) गारूडी, गरूडिग, मोडिग, मोडीकार, मोडीकर (६३) गडी (६४) धडसी, घडशी (६५) घासी, हड्डी, रेल्ली, साचंदी, बोडा, घासी और सघासिया (६६) घीसडी (६७) घोडाली गोडालिग, धोडाली, गौडहल्ली (६८) गिड्डी, बिड़की, पिंगले, पिंगाले (६९) गोड़गली (७०) गोडारी (७१) गोगरा (७२) गोल्ल, हाबु गोल्ल, दुही, गोल्ल, अडवा-गोल्ल, किश्न-गोल्ल, हंदी-गोल्ल (७३) गौडूवाटी, मिरिथम दुभो, कौरिया, वाटो जाटको तथा जोरिया (७४) गीडली (७५) गोनिंग (७६) गुड़िगर (७७) हलवक्की, बक्कल, ग्रामवक्कल, ग्राम गौड, गवड, करे वक्कल, अट्टे वक्कल हलक्की, वक्कल, (उत्तर कनारा जिला) (७८) हलेपाइक दीवर, नाम-धारी बिल्लव, कलाल, कुमार पाइक (७९) हरनशिकारी, चिगरी-बेटंगर, वाधरी, वागिरी, निरशीकारो, वागड़ी, बाओरी फासा, फासा-चद, बागरी (८०) हेल्व हैलव, हेलवमल्लर हैलवगोल्ल, हंदी-हेलव, हेल्वरू, पिंटचो-सन्तला (८१) होन्नीयार (८२) हाउगर, हवागर, होबदिया

Scanned with CamScanner

(८३) जदापू (८४) जगले (८५) जातगर (८६) जावेरी जावरी (८७) जोगी, जोगर, संजोगी (८८) कादन (८९) कल्लोड (९०) कम्यार, कुंभार (जहां वे अनुसूचित जनजाति के न हों) (९१) कंजर, कुंजरी, कंजिर, खनगटमट (९२) कानीसन (९३) कपूमारी (९४) करी कुडुम्बी (९५) करीम्पलन (९६) काशीकाफीं, कशी कपाड़ी, तिरमली (९७) कटाबू, कटाबर (९८) कटिपोला (९९) काबड़ी (१००) केलकारी, खेलकारी (१०१) खिजार्जर, महाठी घानगर (१०२) कोल्ला, कोल्लाह (१०३) कोल्थाट, कोल्याटिंग (१०४) कामाकापू (१०५) कोंडा धोरा, कोंडू देसाया, कौंद डोंगरिया, कोंढ़ कुट्टिया, कोड टिकिरिया, नोवका धोरा, मन्धोरा, मच्क घोरा (१०६) कोरून येमिति (१०७) कुंची कोरबर, केदादि कोरग्गर यर्कला एराकला कुंची कोरवल कोरम सेट्टी, येरूकला (१०८) कोटारी, कोट्टारी (१०९) कोटिया, बर्तिका, बोथ-ओरिया, धुलिया, दुलिया होलब पैकी पुतिया, सनरोना और सिद्धोपैकी (११०) कोयब (१११) कुडुबी (११२) कुरूल, कुरूओरू हालमठ (११३) कुडुबी कोई (११४) कुरिच्चन (११५) कुरूवर, कुरूब, कुरब हालामठ (११६) लाड़ार, लाड, लाडारू, येलवार (११७) लिप्पारा (११८) महामारी (११९) मैधासी (१२०) माली, कोचींमाली, पैकीमाली और ऐड्डमाली (१२१) मनीयानी, मुनीयानी (१२२) मिथा दैय्यलवार (१२३) माडीवार, मोंडीवारू (१२४) मोडुवार, मुड्वन (१२५) मेडा, मेडार, बुरूड (१२६) मुलिया (१२७) मुरिया (१२८) नाट, नाटुवन (१२९) नल्की (१३०) नाइंदा, नयनज-क्षथरिया हज्जाम, न्हावी, नाडिंग, अम्बट्टन, मंगला कैलासी क्षोरक, क्षोरिद, नावलिग नापित, भंडारी पन्निककन कवथियन (१३१) नेलकनवरू (१३२) ओटारे (१३३) पचभतला पचबोतला (१३४) पदमपारी (१३५) पदार्ती (१३६) पाडिया, पडियार (१३७) पागडाई (१३८) पैगरप् (१३९) पैदा (१४०) पाकी (१४१) पलासी (१४२) पामुला (१४३) पनवास (१४४) पन्नन (१४५) फासा, पंसा (१४६) पनिका (१४७ पत्रा, पत्रमेला (१४८) पेडिया (१४९) पिचाटी (१५०) पिचारी (१५१) पिचासुन्टा, पिचिगुन्टला, पिचुगुंटला (१५२) पोमला (१५३) परजास, बोंडा, डारूबा, डिडुवा, मुंडिले, पेगु पुंडी और सालिया पोरीजा बोडा-पोरोजा, सोडिया पोरोजा, जोंडिया पोरोजा और परंगा पोरोजा (१५४) पोवार (१५५) पुलयन (१५६) पुल्लवन (१५७) रावल, रावलिया, पाल (१५८) रावत, राया, रेवात (१५९) रैनुदास (१६०) रेल्ली ओरचंजी (१६१) रोना (१६२) साधुमट (१६३) संगारे (१६४) सटाल (१६५) सनियार (१६६) संसी (१६७)

Scanned with CamScanner

संसिया (१६८) सारा (१६९) सारे (१७०) सरोदी, सारदा (१७१) सरानिया (१७२) सतरकर (१७३) सवारा, कापुसवारा, कुटट्सवारा, मलिया सवारा (१७४) सेम्मन (१७५) शिगदेवार शिगडिया (१७६) शिक्कलिगर (१७७) शोलागर (१७८) सोलिंग (१७९) सुन्ना सुन्नाई (१८०) सुखा (१८१) तचविरा (१८२) तककर (१८३) तलविया (१८४) थोटिटय नायक (१८५) थोटवडु (१८६) तितारी तिराट (१८७) तिमाली (१८८) तिरूब, ल्लुवन (१८९) तुरी (१९०) उप्पलिग, उप्पार, उप्पलियन मन्न-उप्पर, गावंडी, गोंडी वेल्दर सगर चुनार, लोनारी, मेलू सक्करे, अगरी लामा (१९१) बाड़ी (१९२) बाधरी (१९३) बड्डु (१९४) बलयार (१९५) वल्वे (१९६) वथिरियन (१९७) बिथालिया (१९८) यंड़ी (१९९) येककर, येकलार, येक्कली इगलिका (२००) येरलू (२०१) येरसोलवडोर थेल्ला, पामलवड़ा (२०२) येनादिवाद.

कनार्टक में पिछड़े वर्गों के नाम

(१) आदिया (कुर्ग जिले को छोड़कर) (२) अगासा, माड़िवाला, स्काला, सकाला बाजू शकाला, टसाकाला, वन्नाम, धोबी, परोत, रंजका (३) अधोरी, करकरमुंडा (४) अगनानी (५) अमबालाकर्मा, अम्बालाकरन (६) अन्ध (७) अन्डूराम (८) असारी, जुलाई (मुसलमान) (९) अरनादन (१०) अतर (११) अटाजरी (१२) बागवान, तम्बोली (मुसलमान) (१३) बादगा (१४) बागालू (१५) बागाठा (१६) बैरा (१७) बेला पटार बेल्पटार, बोकापटार (१८) बैरागी, बाबा, बाबाजी, बैरागी, बाबनो (१९) बजानिया, बेजेनिया (२०) बाकाडरा (२१) बाजोंजा, बाजाजोगा, नायडू, बोगम तेलगा, तेलगा, बालाजा, सेट्टो बालोजा, कासवान, मुन्नूर, मृतरासी, मत-राचा, जनाष्पन, बेल्सगारा (२२) बालासन्तोषी (२३) बालासन्थानम (२४) बन्ना, बन्नागार (२५) बन्त (वेलगोम, बीजापुर, धारवाड़ तथा उत्तर कनारा जिलों को छोड़कर (२६) बन्तू (२७) बारडा (२८) वारिको (२९) वारलूर (३०) बथाल, वट्टाल, वटलर, बट्टार (३१) अथिनी (३२) वट्टाड़ा (३३) बाबूरी (३४) बवतार (३५) बाजीगर (३६) वेडा, बेडारू, वालीमिको, बारको, वेडार, नायका, बेदारनायक, नायक, नायकीमक्काल, नायक-बाद, पालेगार. रोमेशी, तलवार, बालमिकोमक्कालू वेदान (३७) वेगारी (३८) बेल्लारा (३९) बेहरूपी (४०) बेरडू (बेडार) (४१) बेरी (मुसलमान) (४२) बरिआ (४३) बेशतर, बुन्द, वेष्तर (४४) भामता, भाम्पता, परदेशी भाम्पता, भोमन्ना ताकरी, उचील्लियन,

Scanned with CamScanner

राजपूत-भामता (४५) भाओट, भटराजू, भटराज, भोरोत (४६) मारदो, भारागी (४७) भावित (४८) भोट्टादास, वोटोमोट्टाडा, मुरिया भोट्टाड, सोना भोट्टाडा (४९) भूमियास भूरी, भूमिया और वोडो भूमिया (५०) बीनापट्ट (५१) बिन्दली (५२) बिंगो (५३) विस्सोय, बारंगी, जोडिया वेन्नागी, डाडूआ, फरंगी, होल्लार, झोरिया, कोडे, कोल्लाई, पारगा, पेंगा, जोडिया, सोडा और टकोरा (५४) बोगाड-बोगाडी, बोगोडी, बागाडी, वागडी, बोगोडो (५५) बुड बुक्क, बुडवूडको, वूडवूकाला, देवारी, जोशी, बुरबूक (५६) बायागरी (५७) चाचाटी (५८) चक्रावादिया दासार (५९) चम्बोटी (६०) चाम वुकूट्टी (६१) चन्दाल (६२) चप्पारबन्द, चन्पारबन्दा (मुसलमान) (६३) चापटेगार, चापटेगार (६४) चारा, छार, छारा (६५) चारोडी, मेस्ता (६६) चिंटाला (६७) चितराकाथी -जोशी (६८) चित्रा चित्रकार (६९) छूहार या छुहारा (७०) चूनचार (७१) डाडासी (७२) डांग-दासार (७३) डारजी (हिंदू और मुसलमान) भावसार क्षेत्रीय, चिम्पो, चिम्पोगा सिम्पी, शिम्पो, शिव, शिम्पी, साई, मिराई, रामजी, रेगरेज, निलारी, नामदेव, रांगरे, नीलागर (७४) दरवेश (७५) दसारी, देसरी (७६) दाव-दोगादावादीगर, मोईली, मोईलो, दयादीग, देवाली, सान्पालिगा, शोरेखा शेरवागर, सपलिग, अम्बलावासी (७७) देवांग, चालियान, चिल्लियान, कोस्टी, हुटंगा, जेड, विनकर, जुलाही, हुंटकर, हटकर (७८) ताडवी सहित, घानका, तेतरिया और वालनी (७९) घेर (८०) धोबी (मुसलमान) (८१) धोदिया (८२) धोली (८३) दिगवान, जिनगेर (८४) गोम्बसओधिया, डोम्बस-ओधिनिया, डोम्बस-क्रिशचियन डोम्बा-चोनेल, डोम्बस-मोरगानी, डोम्बस उड़िया, डोम्बस-पुनाका, डोम्बस-तेलगा, डोम्बस डम्मिया (८५) डोगा, येरूकाल्स (८६) ड़ोम्बीदास (८७) दुर्गामुगी वुरवूचल (८८) ऐजलोजा, डावात (८९) फकीर (मुसलमान) (९०) गाडाबा, गाडावारवाडा, गाडावा सेरीलम गाडावा फ्रंजी, गाडावा जोड़िया ओलारा, गाडावा पानगी (९१) गाड़ला, तेली (९२) गंगानी गावती, गाब्बती, गान्तो, गासवित (९३) गंगाकूले, गगेमाकाले, गोमीमाथा अम्बिग, आम्बिगा, वक्कालिगा, कव्विलो, कव्वीली, कव्वेर, कव्वीरा, खारवी भोयी वोई, थोरिया, हरकान्थारा हरीकाण्थरा, कहार, मोनागार, खारिया सुन्नागार, सिवियार, वेस्था, गगामाथा गंगपत्रा भोई, परिवारां, एराव्या वरुदेवे सुबरू मोगावसेरा (९४) गनिया, चांक्कम, तेली (९५) घाडो (९६) घाड़सी, घाड़शी (९७) घासो या हाउडी रेल्ली, सचान्दी घासी, बोडा घासी और सगधासी (९८) गट्टी (९९) घोसाड़ो (१००) घोड़ानी, गोडालोगा गोंढाली, गोढ़ाल्ली (१०१) गिड्डाकडको, पिगले, पिगाले

Scanned with CamScanner

(१०२) गोड़ागाली (१०३) गोडारी (१०४) गोगरा (१०५) गोल्ला, गोल्ली, गोपाल यादव, अस्थाना, गोल्ला आदावी गोला, गोपाला, गोपाली, हना वरूआ, कृष्णा, रोला, अनवारू, अटनावरू, हनवार, दूधीगोला (१०६) गोढो-मोडिया गोड और रोजा गोड (१०७) मौडूस-बाटो, मिरिथिया दूधो कओरिया, हाटो जातको तथा जोरिया (१०८) गोंडाली (१०९) गोनिगा, सादुसेटी (११०) गोसावी, गोसायी गोसाई, अतीत (१११) गूडीगार (११२) गुजर, गूजार (राजमिस्त्री) (११३) गुराव, गुरोव, ताम्बली, ताम्बाल्ला, गरावा, गुराट गुरराट (११४) हालावाकको,वाक्वल, वाक्कल ग्राम वाक्कल, ग्राम गोडा गवाडा, ग्वाडा, कारेवाक्कम, कुचावाक्कल अट्टवाक्कल, शिलवाक्कम, हालावर्क, बाक्कल (११५) हाल्लफो (११६) हडेबाजीर (११७) हडरबत (११८) हरणशिकारी, चिंगारी-बटेगार, बाधरी, बाओरी, फासाचारी, वागरी (११९) हेलावा (१२०) हिल्लरेड्डी (१२१) होलेवा (१२२) होलवा, हेलावा, हेलवा माल्लर, हेलवारू हेलवा गोल्ला, हाडोहेलवा, पोचरगून्टाल (१२३) होन्नियार (१२४) होवाडिया हुंगर, होगार मल्लगार माली, फुल माली, फलमाली, फुलारी फौलारी, जीर (१२५) हाऊगार, हवागार, हवाड़ीगा (१२६) हलीगा हालेपायक, बिल्लावा, देवर मलियाली-बिल्लावा, दोवार, दीवारा मक्काल नामधारी, गोंडले, मोंडला, इलोगा, कोमारणाईक, दिवोगा, थियार, टियान, इदोगा कालाल (१२७) जाड़ापस (१२८) जापाल (१२९) जाटापुस (१३०) जावेरी, जावारी, जोहरी (१३१) जोगी, जोगर, सनजोबी, जोगर सन्यासी (१३२) कदान (१३३) कदार (१३४) काडूकोंकणी (१३५) कल्लोडा (१३६) काम्ती, कनियन (१३७) कम्मारा (मैसूंर जिले को कोल्लेगल, तालुक को छोड़कर) (१३८) कनाटे (१३९) कान्बा, कुलवाड़ी, कुन्बी (१४०) कंजर, कंजरी, कजरी कंजरभाट (१४१) कानोसन कानियन, कनयान (मैसूर जिले को कोल्लेगाल, तालुक को छोड़कर) कनियार (१४२) कपूमारीज (१४३) कारीकूदूम्बो (१४४) करीम्पालन (१४५) कास्वा (१४६) कसाई, कटीक, खटीक, कटूका, कटूगा, कासाब, अराई कुल्लाल (१४७) कसार, कंसार, कनचरी, कनचारा कनचुगारा, बागर (१४८) कासबिन (१४९) कासीकान्पी, काशीकपाडो बिरूमाली (१५०) काटावू काटाबार (१५१) काटीपाऊला (१५२) कवादी (१५३) कावाटियान (१५४) केलकारी, खेलकारी (१५५) खोंद (१५६) कोवगारा (१५७) कोडालो (१५८) काडू (१५९) कोलायानूरोली (१६०) कोलायोरी, कौलारी (१६१) कोलो महादेवी (१६२) कोल्ला, कोल्लाहा (१६३) कोलथातो, कोल्हाटोगो (१६४) कोमाक्यु (१६५) कोम्पार (१६६) कीड (कुई)

Scanned with CamScanner

(१६७) कोड़ा, धोरा, कोड़ा रेडिउज कोड़ाहस-देशिया, कोडक्स, डोगरिया (१६८) कोध, डेसड्या, कोंधस डोंगरिया, कोंधस, कुट्टिया कोंधस, टिकिरिया (१६९) कोगा, कोंगडी (१७०) कोनकना, येन्ती (१७१) वेकाड़ी, कोरागर, येरकाला, ईराकाला, कूंची, कोरवाख कोरमाख येरूकाल (१७२) कोसल्या गोडस, बोसोयरिया, गौडस, चिट्टिटो गोढस डागयाथ गोंड़स ड़ोडूकमारिया, डोगूकामारो, आदिया गौड़स तथा पुल्ली सारिया गौड़स (१७३) कोटारो, कोट्टारी (१७४) कोटेक्षत्रिया (१७५) कोटया-बारटोका, वेनथूरिया धूलिया या दुलिया होलवा पैको पूतिया सनरराना तथा सिद्रो पैकी (१७६) कोयाबा (१७७) कुदुवी, कुदूबी, कोयो (१७८) कुम्बारा, कुन्मारा, खुम्भार, कम्भार, कुलाला, कलालर, मोलिया, कुसाबन (१७९) कूंचीकोरवा (१८०) कूरी चवान (१८१) कुराबन, कुरूम्बान, कुरूम्बा, हुलू माथा उनगर, मारवाड़ गोरवा (१८२) कूर्मा, कुर्मी (१८३) कसूमा (१८४) कुरूवा, कुयेब, कूरूबर (१८५) लाडर लाड़, लाड़ारू, येलेगार (१८६) लिम्परा (१८७) लिंगायत वर्ग अर्थात् शिम्पा, शिवा शम्पी नीलागर कोशती हाटागर जेदा बिलीजेदा नियगी कहिना शेट्टी बिल्ली मागा नयीनडा केलाशो, हड़पाद, नाड़िग, मगला कुमार बादगी, अगासा मोदीवाला, रजक, गुरब, तम्बालीं कुम्बार, कुम्भार, कुलाल, बागर, जीर नागालिका, गाऊली (ग्वाला हुगर मालागार, तेलीगार, पुजार, जनगाम्स में माथा पाथिसा गणियार, शुद्ध शिव, झम्डणीडी, शिवरेचका (१८८) लोनारी (१८९) मामाथा, गौड़स, बरनिया गोडस बोड़ो मगाथा, डोगयाथ गोडू, लेडी गोढू, पोना मागथा तथा साना मागथा (१९०) महासारी (१९१) मेघासी (१९२) मालिस, कोरचियामालिस पाइको मालिस तथा पेड़या मालिस (१९३) गणियानी, मुणियानी (१९४) मन्ना धोरा (१९५) मन्नाम (१९६) मरायान, मारावानर (१९७) मारटा (१९८) मराठी (दक्षिणी कोनारा जिले को छोडकर) (१९९) मासानोयायोगी (२००) मेदारा, मेदारी, बुरूड़, गोरोगा, मैदारा (२०१) मीठा अवालकार (२०२) मोदीया, मोदीकारा, मोदीकार (२०३) मोडीवार (२०४) मोड़गार वा मूडूवान (२०५) मूधार (२०६) मूरवा धीरे या नुकाघीरे (२०७) मुक्कावन (२०८) मूलिया, मूरिया (२०९) मूरारी (२१०) नयाफस, लडाके, लुनिया, मनसूरी चिनजार या पिजारी (मुसलमान) (२११) नडोरा नाड़ार, उकुना डम, बोकेनाडार (२१२) नट, नटुया (२१३) मालकी (२१४) नालबन्द (मुसलमान) (२१५) नन्डीवाला, फूलमाली (२१६) नाथपंथी, दाऊरो, गोसावी (२१७) नव-बोदिष्ट, न्यो बोदिष्ट (२१८) नाईन्दा, लाईनजा, क्षत्रीसर, हज्जामन्हावी, नाडीग अम्बेटम, मगला कैलाशी, शोराड, शोवरिक,

Scanned with CamScanner

चौरिया, नावालिगा, भंडारी, नापीथा (२१९) नेलाकनावारू (२२०) न्योगी, कुरूहिगसत्ती, थागारा, बिलोमाग्गा, सेनहगा, साले जामखाना असीर, केकालन, नैकर, जाडार जन्दरा, स्बाकु-लासालस (२२०-ए) नेगी, कुरूहिगलेटी, बीलीमाग्गा, व्योमाटा, सोनोया, जामखान, अयीरी, अवीर, साले सीले, काईकोलान नाईकर, जेझार, जाडार, जानडा, स्वींचुलासाले (२२१) ओस्था (२२२) ओटारी (२२३) पाचामोटला, पाचा बाटला (२२४) पदमापारी (२२५) पद्माली भारगूडे, सेट्टी, देवागे (२२६) पदराती (२२७) पाडिया, पाडिमार (२२८) पाडित (२२९) पागाड़ाई (२३०) पेगारापू (२३१) पैड़ा (२३२) पाके (२३३) पालासी (२३४) पाल्ली (२३५) पामिदी (२३६) फामूला (२३७) पाणवा (२३८) पानन (२३९) पानासा, पानास्सा (२४०) पड़ाराम, पान्डार, पान्ड़ारा (२४१) पान, दावाकुलन (२४२) पनिका, पनिक्कर (२४३) पापुमेलारा, कोकनी (२४४) परधान (२४५) पासी (२४६) पत्रा (२४७) पत्रमेला (२४८) पटवाकारी, पटेगार, पट्टेगार (२४९) पेटिया (२५०) पिचाती, पिचारी (२५१) पिडारीम या पेड़ारीस (मुसलमान) (२५२) पिचगुन्टा, पिच्छीगुटा़ला, पिचूगुन्टाला (२५३) फोमला (२५४) पोरजस, बोन्ड़ा वास्वा, डिड्आ मूढ़िली, पेंगू, पूंडी तथा सालिया (२५५) पोराजा-बोड़, पोरोजा, मीदिर पोरजा सानी, पोरीजा, जोडिडा पोरोडा तथा पारेगा पोरोजा (२५६) पोवारा (२५७) पूलायन (२५८) पूल्लावन (२५९) पूथीराई वन्नान (२६०) कुरेशी (कस्साव) मुसलमान (२६१) राजपुरी, राजथुर, बालावाल (२६२) राजपूत (२६३) रावल, रावालिया, राऊल (२६४) रावत, रायाकुरेवाथ (२६५) रेषीघोरा (२६६) रेनूदास (२६७) रेल्लो, ओरसाचांडी (२६८) रोना (२६९) सदाजोशी (२७०) संगारी (२७१) संताल (२७२) सानियार (२७३) सासी (२७४) सासिया (२७५) साऔरा (२७६) सारे (२७७) सरोडी, सरोड़ा (२७८) सारानीया (२७९) सतारकर (२८०) सतानी, चाट्टडा, श्री वेष्णव (२८१) सावरसा, कापूसावारा, मालिया सावारा खुवतो-सावारा (२८२) सोरोथी गौड़ (२८३) सिम्मन (२८४) शानन (२८५) सिंहदेव और सिहादिया (२८६) शिक्कालोगर और सिक्कालोगर (२८७) शोलागर (२८८) सिंन्धौर (२८९) सोची (२९०) सोलीया (२९१) सोनार, आर्य (कोलो) (२९२) सोरे (२९३) सुन्ना, सुन्नाई (२९४) सुरावा (२९५) सूदीर, शुद्रा (२९६) सुतसाली (२९७) स्वीपर्स (मुसलमान) (२९८) अनुसूचित जातिया (ईसाई में परिवर्तित) (२९९) टाधावोरे (३००) टावनकार (३०१) टाकारस मुसलमान (३०२) तालाविया (३०३) तेलागा (३०४) तेरूवान, धोल्लया (३०५) थोट्टीया (३०६)

थोटेवाडु (३०७) टोगाला, थोगाला, टिगलेर, वन्नोकूला, क्षेत्रीय, शासनभुकूले क्षत्रीय, धर्मराज, कपूकुरेवान पुल्लाई, अग्नी-कुला क्षत्रीय (३०८) तिलारी, तिरालो (३०९) तिलवो (३१०) तिमाली (३११) तिरुवाल्लूवान (३१२) तूरी (३१३) उन्पालिग मेटी रोय (३१४) उन्पारा, उन्पेरा, उन्पिलीयान सागरा, चुनार, गोवन्डी, गोवाडों, गोंडी, मेलूसाक्करस (३१५) वाडी (३१६) वेदू (३१७) वाजलूघेऊन (३१८) वालायार (३१९) वालवाई (३२०) वाधरियन (३२१) बासूदेव (३२२) वेटटवान (३२३) वीर, वैरा वैरामास्ती (३२४) विश्व, ब्राह्मण, सरपा, देवनगन्या ब्राह्मण, कस्मार, औसाला, कम्मालन, कामसाल, कामसाला, पंचाल, पंचाला सुतार, बाडागी, बादौखादली सोनी पत्तर, गेज्जीगर, सिल्पी (३२५) विश्वकर्मा लूगार, उक्का-साले आचारी, सिवाचार, अहरू (३२६) विथौलिया (३२७) वोवकलिगा (केमल ग्रमीण क्षेत्र) (३२८) यान्डी (३२९) येक्लार, याक्लार याक्काली, इगालिया (३३०) येरूला (३३१) येरागोलावाड या थेल्ला पामानवाडा (३३२) यान्डीवाओ (३३३) जारगार (मुसलमान)

आंध्र प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अपुकथावदलु (२) आदि कर्नाटिका (३) अगमुंडी (४) अगारू (५) अधममुदियार, विलारी, मदाली, अघभुदिया, अघमबदलियर, बारी चाट्टी, कोंड़ियार, पालेगारू (६) अजिला (७) अरवला (८) अरचक ब्राह्मण (९) अरे-मराठी (१०) अरेकाटिका, काटिका (११) आर्य क्षत्री चित्तारी, चित्रकार गिनीयार नरवस (१२) अतगार (१३) अतर (१४) बादगा (१५) बागालु (१६) बैरा (१७) बाकुड़ा (१८) बाला संथानम (१९) बालासंथु, बहुरूपी (२०) बांदरा (२१) बांदी (२२) बन्तु (२३) बाथनी (बाटटड़ा) (२४) बेगारी (२५) बेल्लारा (२६) बेसथा-अनिकाली, जेलारे रत्नाबालाजी, उप्पिला, बड़ेबाला जी (२७) भामता (२८) भातराजू (२९) भातू तुरका (३०) भोत्तापास, बोड़ो भोत्तड़ा, मुरियाभात्तड़ा व सानु भोत्तड़ा (३१) भूमिया, भूरी भूमला व बोड़ो भूमिया (३२) बिंदली (३३) बिस्सौऐ बारांगी, जोड़िया, बननगी, रादुवा, गोड़ो जोढ़िया, होलर झेरिया, कोल्लाए कोड़े, पारांगा, पेरगा जोड़िया, परांगी, टाकोरा (३४) बोया बाल्मीकि (३५) वुड़ाबुककाला (३६) बुदबुकक (३७) बुक्का (३८) बुरबुक (३९) बुरगनकालिगा (४०) चकला, चावला, धोबी, राजका, चाकाली वचर (४१) चक्कलियान (४२) चरन बंजारा (४३) चतरी अग्निकुल क्षतीय, बोम्बली (४४) चेनचुलु (४५) चेरूमान (४६)

Scanned with CamScanner

चिंताल चुप्पोलु (मेरा)(४७) चोपेमाड़ी (४८) ड़मला (४९) दर्जी, भावसरा, हिन्दूमेरा, मराठा, मेरती, रंगारी, रंगरेज (५०) दसारी (५१) दसारी (डोंगा व गुड्डू) (५२) देव-तेलकुला, गोडिया, तेली (५३) देवंगा (५४) देवेन्द, कुलाथन (५५) धाक्कडा (५६) धेर (५७) डोम्बो (५८) डोम्बअंधिया, डोम्ब, औदनिया-डोम्ब, चोनल, डोम्ब, ईसाई डोम, निरगानी डोम्ब, उरिया-डोम्ब, पोरका-डोम्ब, तेलगर डोम्ब, उमिया-डोम्ब (५९) डोम्मरा (६०) डोन गयाथा (६१) डूडेकुल, लद्दफ, पिंजारी या नुरबाश (६२) इडगा, गोऊडा (गाम्माल्ला कलाली, गाऊडला, सेट्टी बालीजा (६३) गांडला, तेलीकुला (६४) गंगानी (६५) गंगीरेदलावारू (६६) गारोडी (६७) गावरा (६८) गोदावा (६९) गोडडा (७०) गोल्ला, धनगर, अडियार, कोनद, कुर्बा, यादव, चेरांगेला (७१) गौडू (७२) गोंडस-बाटू (भीरीथिया, दुधो, कुरिया, हटस, जातको व जोरिया (७३) गुडाला (७४) गुजुला बालीजा, दासार, मुसोकू, पेरीका बालोआ (७५) हसला (७६) हटकर (७७) ईरूला (७८) जक्काला (७९) जंदरा, कुरुवीना सेट्टी (८०) जांगला (८१) जंगम (८२) जानीरा (८३) जेट्टी (८४) जिंगर (८५) जोगी (८६) जोशी नन्दीवाला (८७) काप्पी (८८) कदन (८९) कलाकाड़ी (९०) कालकाडी (या करवा) (९१) कामकला (९२) कलवनथुलु, बाग्गला, गणिका (९३) काललादी, कलवार (९४) कगकन (९५) कांदरा (९६) कनियान (९७) कजर (९८) कजर भट्ट (९९) कंवर(जैसवाल)(१००) कपमारे या रैड्डिका (रैडिका) (१०१) कपुमारी (१०२) करीकल भकथुलु, केकला या केकोलन (सेनगुडम या सैनगुथेर) (१०३) करीमपलन (१०४) करनाभक्तथुलु (१०५) करनावीगर (करनम), कनक पिल्ले (१०६) कटिका, कसाई (१०७) कटीपामूला (१०८) कटीपापला (१०९) कतरी-राजुलु (११०) कायस्थ केती ब्राह्मण (१११) खटिसखाट्टी, कुम्माराव व लोहार (११२) खोंड (११३) किनथला कलिंग (११४) किनटोली कलिग (११५) कोची (११६) कोडलो (११७) कोसिंग, बरगन कलिंग (११८) कोमाकापु (११९) कोम्मार (१२०) कोंड (कुई) (१२१) कूसा (१२२) कोप्पुला वेलम (१२३) कोराच (केरावर) (१२४) कोराग (१२५) कोसल्म गोडू बास थेरिया, गराऊंडस, चिट्टी गराऊंडस, दनगियाथ, गराऊंडस डोडू, डुडु कमाराओ लुडिया, कुमारिया गराऊंडस व पुल्लो सरिया गराऊंडस (१२६) कोश्टी (१२७) कोटा (१२८) काई (१२९) कृष्णाबालीजा डासारी बक्का (१३०) कुडिया (१३१) कुडुबी (१३२) कुडमवन (१३३) कुम्बर-कुल्ला, सालीवाहन (१३४) कुम्भ-क्षत्रीय (१३५) कुम्मारा या कुलाल (१३६) कुनापीलि (१३७) कुनचेतीगर (१३८)

Scanned with CamScanner

कुराकुल (१३९) कुरावन (१४०) कुरीछन (१४१) कुरूबा या कुरूमा, हैगडे (१४२) कुरुमन कुरुमबा (१४३) कुरुमन (१४४) लिंगबालीजा (१४५) मदारी (१४६) महासरी (१४७) मेहतर मुस्लिम (१४८) मैला (१४९) मलासर (१५०) माली माडी पट्टा (१५१) माली (यहां वह अनुसूचित जनजातीय नहीं) (१५२) माली-करचिया माली, पेका माली व पेड्डागाही (१५३) मनदूला (१५४) मनगला (१५५) मंगली नेई ब्राह्मण (१५६) मंगथा गाऊंगस, वन मेगया बेराला गाऊंडु, बुडो मगथा, गोंगिमाथ, गाऊंगस, लडिया गाऊंडस व पैनागगथा (१५७) मनूरकापु(तेलिंगाना) मुन्नौर-कप्पु (१५८) मराठी (१५९) मथुरा (१६०) मौने (१६१) मावीलन (१६२) मदारी या महेन्द्रा (१६३) मोगर (१६४) मोंगीवार (१६५) मोंडूवारु, मोंडी बड्डा, बड्डा (१६६) मैनूला (१६७) मुद्दीराज, मुटरासी, तेनुगोल्लू (१६८) मुलिया (१६९) मुरिया (१७०) मैथरएचैस (१७१) मथुरसी बाणिया, गंगा पुटरा, मुड्डीराज, मुथराजा, तीलिंगा तैनुगु (१७२) नगरुल्लु (१७३) नगवैडलमू (१७४) नागावसम (नागावसमासा, नागवंश)(१७५) नाईक (१७६) नैकापु (१७७) नकालैस (१७८) नाईडी (१७९) नायेक (१८०) जीला कन्थी (१८१) नैसी या कुरनी (१८२) नायला (१८३) नहवी (१८४) निरसी करिस (१८५) नौकर (१८६) नौलेकियावा (१८७) नौली (१८८) औड्गर (या वैडर्स), औड औडर, वेग, औडलू, वैड्डी, वैड्डई (१८९) औथूलस या मोटा, कौनसालिस (१९०) ओम्मेट (१९१) पैहचावौहटला (१९२) पंचावटला (१९३) पैडमपुरी (१९४) पैडमसैली,(पैटूसैली, सैली, सैलिबिन, सीना पाथालु, थोगाटा, सैली) (१९५) पागाडे (१९६) पेगारपु (१९७) पेंडा (१९८) पालकरी (१९९) पैलन (२००) पाला, पालीकेरी, पाली कैरुलु नैगनी कोला (२०१) पैली (२०२) पैली-वैडा, पैडावैलिका, गंगावर, गौंडला वलैरी, वैना कोलक-सतरिया (वैनु कैपु, वैनरैड्ड नायला व पट्टपु) (२०३) पैम्बाला (२०४) पामूला (२०५) पैनन (२०६) पैड़ा (२०७) पैनियान (२०८) पैनीएड्डी (२०९) परियान (२१०) पाराविन (२११) परदी (नरसीकुरी) (२१२) परगाईस (२१३) पैराकी मुगला (२१४) पैसी (२१५) पटकर (खटरी) (२१६) पटरा (२१७) पैडम्मावदल, दवरवंदलु, जैलमा वंदलु, मुटेलियामा वंदलु (२१८) पैरका (पैरके बलैज, पूरागिरी क्षेत्री)(२१९) पैरीकालु, रैड्डी (२२०) पैटियास (२२१) पचारिस (२२२) पैचीगुंटला (२२३) पौली गारस (२२४) पौली नटी बैलमस (२२५) पसोला (२२६) परोजा-बैगो परेजा या सोडिया, जोगिया पिंरोजा पैरिंग परोजा और सोना पारोजा (२२७) पुलाईन (२२८) रानायर

Scanned with CamScanner

पृथीराज-पैनन (२२९) रालो पुट्टनुल, कारन (२३०) रैड्डिकास रचकोथा (२३१) सधु चैट्टी (२३२) संगादी (२३३) सौरा (२३४) सपारी (२३५) सेयर (२३६) सटनी (चट्टडा श्रीवैशणवा चटडी)(२३७) अनुसूचित जातियों में से दीक्षित ईसाई और उनकी सन्ताने (२३८) सीला वैथम (२३९) श्रेरथी गौडूस (२४०) सीम्मैन (२४१) सनाटाल (२४२) सैसटेकरनम (२४३) शलौगा (२४४) शलौगार (२४५) सिंधारै (२४६) सिगोलु (२४७) सोड़ी, सोड़िका (२४८) सोरे (२४९) सौरुलु (सीमा वंश क्षेत्री) (२५०) श्री शायमा, सीगुडी (२५१) सूदासेवा शीवरचका (२५२) सूना (२५३) सुनेई (२५४) सप्तरी (२५५) सवैकुलसली (२५६) टैलियारी (२५२) टैम्बोली (२५३) टैम्मैली (२५४) टैलीगा, काम्मा (२५५) थगोटा, थगोटी या थगोटा वीरा क्षेत्री (२५६) थोरिया नायक (२५७) थुलुवा-वैल्लवला, एगैभुगायन (२५८) तेरु वैल्लुयवर (२५९) टोगा (२६०) टुरुकपस (२६१) ऊपसरा (२६२) ओपारा या शिगारा (२६३) वैगगर-वेवी, ओपोरुलु (२६४) वैगगन (२६५) वैलुवैन (२६६) वाल्मीकि (२६७) बाल्मीकि-बोया (बोया, वैगर, किरीटका, निशिदी, वैल्लपी पैगगा बोईया) टैलागिरी व चन्दू वैल्लू (२६८) वंजारा (वंजारी) (२६९) वाराला, थगरा, भोल्ला, बालिगा (२७०) वीरामुस्ती (नीटी कोटला) (२७१) वैट्टुवैन (२७२) वैगकी, नाईगी (२७३) वीरा शिवालिंगायम (२७४) विश्व ब्राह्मण (औसला या कम्साली, काम्मरी, कनचारी, वेनिया या वनरा या वनरंगी या सिलपिस) (२७५) वैननर या काला वैननर या पथरोन (२७६) वनला (२७७) भारस (२७८) चातर (२७९) चेनकुलम (२८०)चेनानी वारन (२८१) चेटला (२८२) चुआरेलौ.

केरल में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अगासा (२) अलावान (३) अम्बलाक्करन (४) अमपट्टन (५) अमबलार,अमबाथान, अमबिथान, इज्हवतेरी, कालरिकुरूप, मारुथवर, नाइकेन, पंडोधारे, विलाकिवथालानवी (६) एंग्लो-इंण्डियन (७) आथन (८) आर्यबाघन (९) अभूमाहरती (१०) आर्या (११) भार्याज (१२) बाढागा (१३) बागाटा (१४) बडारो (१५) तारिकि (१६) बातड्डा (१७) बाबुरी (१८) मिलवा (१९) मोटादास-बोंदो-भोट्टडा पुरिया भोट्टडा और सैनीभोट्टडा (२०) भूमियास-भूमिया और बोडो भूमिया (२१) बसोय बारांगी, जोडिया, बेन्नानगी, बोलार, डाड़वाफ्रेसी, झोरिया, कोलाई, कोडे प्रांगा पेंगा, जोडिया, सौडो जोडिया, और टाकोरा (२२) व्यागरी (२३) चावाती (२४) चाक्रावार (२५) चक्काला (२६) चलावडो (२७) चानान,

Scanned with CamScanner

चालिया (२८) चापटेग्रा (२९) चट्टी (३०) चटियार, चक्काले, चट्टियार, तेलगू, केनिकेवस्था, बनियार (३१) चावालाक्करन (३२) चेगाक्करन (३३) चेननू (३४) चेटिज,(कोटार, चेटिज, पाराक्का, चेटिंज, हल्यूर चेटिज, एटिंगाल चेटिज, पूडराक्काडा चेटिज, इरानियम चेटिज, श्री पंडारा चेटिज, तेलगू चेटिज,उदायाम कुलनगारा खेटिज, बाइनाडा चेटिज और पालावारा चेटिज) (३५) डनडासा, डनडासी (३६) दविन्द्रा कुलाथान (३७) डेवाडिंगा (३८) डेवानगा (३९) डेवार (४०) डक्काडा (४१)डोम, डोमवारा, पैइडो या पानो (४२) डोम्बो (४३) डोम्बो अंधिया डम्ब, औधिनियम डोम्ब चोनल डोम्ब, ईसाई डोम्ब मिरयानी डोम्ब, तेलगागा डोम्ब और उडिया डोम्ब (४४) ईज्हावास (४५) ईज्हप्वाथो (४६) ईव्ह धाचान (४७) गाडावासवोडो, गडावा सेलान, गडावा, फार्जी गाडावा, जोध्या गाडावा, ओलारो गाडावा, पानंगी गाडावा और प्रांगो गाडावा (४८) गानाका (४९) गन्जम रेड्डी (५०) गट्टी (५१) घासी या हड्डी, रेली सांचांडो (५२) घासिस बोडा घासिस और सेन घासिस (५३) गोडारी (५४) गोंड (५५) गोडोमोड्या गोंड और राजो गोंड (५६) गोड्स-वाटो, भिवथिया, ड्डोह कौरिया हाटों, जटाको और जोरिया (५७) गाउंडर, पिल्लाई (५८) गोड़ा (५९) हाडो (६०) हेगडे (६१) होलवा (६२) ईल्लावान (६३) इलाबाघी (६४) इज्हुवैन (इल्लुवान)(६५) जाडापस (६६) जागाली (६७) जाम्बूबूलु (६८) जाटापूस (६९) जोगी (७०) काडूपट्टन (७१) काईकोलन काम्पारा(पुराने मालावार जिले के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर)(७२) केम्भालास, विश्व कारमालास (विश्वकर्मा कारूवान, अंगारी, मुसारी थट्टन बिलकरूप या विल्लासेन, विश्वरामनार विश्वम) (७३) कानिसान (७४) कोनोसु या कनियार पाणिखेर, कानि या कनियान(गनका)या कनिसेन या कमगान (७५) कार्ननान (७६) कानजर (७७) कन्नाडियान (७८) कापूरमारिईज (७९) काथिक्कारन (८०) काउथी (८१) कायुडियारु (८२) कवयूधियान (८३) कैलासी (केलासी पाणिकेर)(८४) केरल मृदालीज (८५) खट्टीजा खाट्टो, कोमीरो और लोहरा (८६) खोंड (८७) किटारन (८८) कोडालो (८९) कोडू (९०) कोम्मार (९१) कोंड डानोअर्स (९२) कोंडा डोरा (९३) कोंड (कुई)(९४) कोंड-डेसाया कोंड्स, डोंपोंया कोड्स कुट्चटाया कोडस और टिकिरिया, कोंड्सयेमिटी कोंडस (९५) कांगु मालायन (९६) कोराचास या कोरावार या ऐरुकाला (९७) कोसाल्य गोडस, बोसोथोरिया गोडस चिट्टो गोडस डांगेसाथ गौडम, डोड्डू कामारिया डूडू कामारी, कोडाया गौड्स और पूललोरिया गोडस (९८) कोडेयार (९९) कोटिया-वारटोका, बेनथी ओरिया थूलिया या डूलिया, होलवा पाईको

Scanned with CamScanner

पूटिया, सेनरोना और सिंधो पाईको (१००) कोया पा गोड, राज या राशा काया, कोटू कोया और लिंगाधारी कोया, अपने उप सम्प्रदाय के साथ (१०१) कोयो (१०२) कृष्णानायना (१०३) कुडवो, कुडुम्बिो (१०४) कुसावान, (कुलाला/आन्ध्र नायर या आन्थरू नायर (१०५) लंगबाडी (१०६) लेटिन केंथोलिक्स (१०७) माडरा (१०८) मडारी (१०९) माडोगा (११०) माडीवाला (१११) मागध गौडस-बरेमिया, गोडस बूडू मगाथा, डोंगायथ गोडस लडिया गोडू, पोन्ना मागध और सेन्नां मागध (११२) मालाडासू (११३) मालाय एजेंसी मालास वाल्मीकि (११४) माला पंट्टरम (११५) माला पुलांयन, कारावली पुलायन कुरुम्बा पुलांयन और पाउब पुलाचन (११६) मलायेकांडी (११७) नालिस, कोचिंया मालोस, पायकोमालिस और पेड माली (११८) माला सालासर (११९) मानावांस (१२०) मान्ना धौरा (१२१) मपिला (१२२) मारक्कान (१२३) मारावांस (१२४) मराथी, मराटी (१२५) माराओन (१२६) माटागी (१२७) माऊने (१२८) मेडार (१२९) मागानीरा (१३०) मुक्कुवान, मुकया (१३१) मुलिया (१३२) मुरिया (१३३) मोट्टेडा मुरिया (१३४) नाडार (१३५) नायडू बालिजा, गौडा वाडुगन (१३६) नायक्कनूस (१३७) नाट्टु मलायन्स (१३८) नुलायन (१३९) ओडांस (आन्ध्र नायर या अन्थरू नायर) (१४०) ओजुलस या मेट्टा कोमसालीस (१४१) ओमानेटी (१४२) पागाडाई (१४३) पैडी (१४४) पाइगारापु (१४५) पाइंडा (१४६) पैकी (१४७) पालामी (१४८) पामीडो (१४९) पाडांहन, मनियाकार (१५०) पांडीथावास (१५१) पानीवन (१५२) पान्नीयांडी (१५३) पान्नीयार (१५४) पेनी (१५५) पट्टारिया (१५६) पैनढ़िया (१५७) पेरुमकोल्लास (१५८) पेरूबन्नान (बारानाकवार) (१५९) पिल्लई (१६०) पोरजा-बोडो, बोन्डा डारूवा, डाड्वा, जोडिया मुड़िली, पेनगी, पेईडी और सालिया (१६१) पोरोजा (१६२) पोरोजास बोडो, पोरोजा या सोडिया, सनोपोरोजा, जोडिया पोरोजा और पारेंग प्रोजा (१६३) पुलाया (१६४) पुल्लुवान (१६५) राजापोव (१६६) रेड्डियन (१६७) रेडिडधोरा (१६८) रेलली या सार्चाडी (१६९) रोना (१७०) साकारावार (कोवाथी) (१७१) सेलीयास (१७२) सामबावान (तलिक)(१७३) साओरा (१७४) सापारी (१७५) सावारा (१७६) सावरास-कापूसावारास, खोट्टी सावरास और मालिया सावारास (१७७) ईसाई जाति में परिवर्तित अनुसूचित जातियां (१७८) सेनाई थालाबार (ईलाबानियर) (१७९) सेरिथी गोडस (१८०) सोलागा (१८१) सोलागार (१८२) एस.आई.यू.सी.(१८३) सौराष्ट्र (१८४) थाटा पुलायन (१८५) थोटयास (१८६) थोलको लान्स (१८७) थाटामान

Scanned with CamScanner

(१८८) थोट्टिया नाइक (१८९) थोट्टियन (१९०) टोरुवालुवर (१९१) टोडा (१९२) वाडूयन (१९३) वाक्कालिगा (१९४) वाल्मीकि (१९५) वाणियन (वर्णिका, वणिका, वैश्य वणिका चेट्टी, वणिया केट्टी, आईरिवार, नागरथार, और बनियान)(१९६) बनियार (१९७) बरनावार (१९८) बेल्लान (१९९) बेरासाईवास (योगिसवारा और योगीस)(२००) वेलुथेडाथु नायर(वेलुथेडा और योगीस)(२०१) विलाक्केथाल नायर (विलाक्किथातावन) (२०२) वेट्टाक्करन (२०३)विश्वान (२०४) विश्वान (मालानखड़ी) (२०५) यदिवान(इडायान) (२०६) यानडो (२०७) येडावा (इरूमन, कोलाया, मुनीयानो अयार) (२०८) येरूकुल.

केरल में पिछड़े वर्गों के नाम

(१) अगस (२) अलवन (३) अम्बलक्करन (४) अरुपट्टन (५) अम्बलर, अम्बथन, अम्बिथन, इशावतरी, कलरीकुरुप, मरूथुवर, नायकन पंडिथर बिल्लकीथलनवी (६) अरयन (७) अरयवथिस (८) अरेमहवीं (९) बडग (१०) बगट (११) बैडारी (१२) बरीकी (१३) बट्टड (१४) बावुटी (१५) भल्लव (१६) भाट्टड-बोडो-भोट्टड, मुरिया-भेट्टड और सानो भोट्टड (१७) भूमिया-भूमिया और बोडा भूमिया (१८) बिस्सोई-बरंगी, जौडिया, बेन्तनगी, बोल्लर, दादुवा, फ्रगी झोरिया कोल्लाई, कोडा प्रंगा,पोंगा, जोडिया, सोडो जोडिया और टाकोरा (१९) न्यागरी (२०) चचाटी (२१) चक्करवर (२२) चक्काला (२३) चालवडी (२४) चावलक्करन (२५) चचु (२६) डंडेसा (२७) डंडासी (२८) धीवर (२९) डोम,डोम्बर, पेंडी अथवा पानी (३०) डोम्बो (३१) डोम्ब-अंधिया, डोम्ब, ओडिनिया डोम्ब,चोनल डोम्ब, क्रिश्चियन डोम्ब, मिरगानी डोम्ब, ओरिया डोम्ब, पोनाका डोम्ब, तेलगा डोम्ब और उम्मिया डोम्ब (३२) इझावा (३३) इशावती (३४) इशुतचन (३५) गडव-बोडा गडव, सेल्लन गडव, फ्रजी गडव, जोडिया गडव, ओलागो गडव, पगी गडव, प्रंग गडव (३६) गट्टी (३७) घासी अथवा हटडी, रेल्ली सचदी (३८) घासी-बोडा घासी और सेन घाती (३९) गोडारी (४०) गोंड (४१) गोंडी-मोड्या गोंड और रांजो गोंड (४२) खोंड (४३) किटारन (४४) कोडाली (४५) कोडू (४६) कोडू डानोआरा (४७) कोंडा डोरा (४८) कोंढ (कुई) (४९) कोंड-देस्या कोंद, कोगिया कोंढ कुटिया कोंद टिकिरिया कोंढ और एमिटी कोंढ (५०) कोंगू मलयन (५१) कोरचा (अथवा कोबर अथवा एरूकला)(५२) कोसल्या गोडू बोसोथोरिया गोडू, चिट्टी गौडई, डगायत गोडू होढू, कामरिया, डुडू

Scanned with CamScanner

No.36033/3/2004-Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievences & Pensions
Department of Personnel & Training

New Delhi dated the 14th October, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs)

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8th September, 1993 which inter alia provided that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs.1 lakh or above for a period of three consecutive years would fall within the creamy layer and would not be entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. The limit of income for determining the creamy layer status was raised to Rs. 2.5 lakh vide this Department's OM of even number dated 9.3.2004. It has now been decided to raise the income limit from Rs. 2.5 lakh to Rs. 4.5 lakh per annum for determining the creamy layer amongst the OBCs. Accordingly the following entry is hereby substituted for the existing entry against Category VI in the Schedule to the above referred O.M.

Category	Description of Category	To whom the rule of exclusion will apply
VI	Income/Wealth Test	Son(s) and daughter(s) of (a)Persons having gross annual income of Rs. 4.5 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for period of three consecutive years. (b)Persons in Categories I, II, III and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which will bring them within the income/wealth criteria mentioned in (a) above. Explanation: Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.

Scanned with CamScanner

Appendix: II

"No. 36012/31/90-Estt. (SCT)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

(Dept. of Personnel & Training)

OFFICE MEMORANDUM

New Delhi, the 13th August, 1990

Subject: Recommendation of the Second Backward Classes Commission (Mandal Report) -Reservation of Socially and Educationally Backward Classes in Services under the Government of India.

In a multiple undulating society like ours, early achievement of the objective of social justice as enshrined in the Constitution is a must. The second Backward Classes Commission called the Mandal Commission was established by the then Government with this purpose in view. which submitted its report to the Government of India on 31.12.1980.

2. Government have carefully considered the report and the recommendations of the Commission in the present context responding the benefits to be extended to the socially and educationally backward classes as opined by the Commission and are of the clear view that at the outset certain weightage has to be provided to such classes in the services of the Union and their Public Undertakings. Accordingly orders are issued as follows:

(i) 27 percent of the vacancies in civil posts and services under the Government of India shall be reserved for SEBC.

(ii) The aforesaid reservation shall apply to vacancies to be filled by direct recruitment. Detailed instructions relating to the procedure to be followed for enforcing reservation will be issued separately

(iii) Candidates belonging to SEBC recruited on the basis of merit in an open competition on the same standards prescribed for the general candidates shall not be adjusted against the reservation quota of 27 percent

(iv) The SEBC would comprise in the first phase the castes and communities which are common to both, the list in the re-

Scanned with CamScanner

port of the Mandal Commission and the State Governments' lists. A list of such castes/communities is being issued separately

(v) The aforesaid reservation shall take effect from 7. 8.1990. However, this will not apply to vacancies where the recruitment process has already been initiated prior to the issue of these orders.

Similar instructions in respect of public sector undertakings and financial institutions including public sector banks will be issued by the Department of Public Enterprises and Ministry of Finance respectively.

Sd-
(Smt Krishna Singh)
Joint Secretary to the Govt of India

BAHUJAN MEDIA CENTER
BMC
No ....
Uttam Shewde

Scanned with CamScanner

सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नई दिल्ली, 27,मई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) को अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए आय के मानदंड में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि लगातार तीन वर्षों तक एक लाख या उससे अधिक सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ नवोन्नत वर्ग के दायरे में आएंगे और वे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे । नवोन्नत वर्ग के निर्धारण हेतु उपर्युक्त आय सीमा को बाद में 2.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया और तदनुसार दिनांक 8 सितम्बर 1993 के कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-VI के अंतर्गत "एक लाख रुपए" की अभिव्यक्ति को इस विभाग के दिनांक 9.3.2004 और 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था (आरक्षण) द्वारा संशोधित कर क्रमशः "रुपए 2.5 लाख" और "रुपए 4.5 लाख" कर दिया गया था ।

2. अब, अन्य पिछड़े वर्गों में नवोन्नत वर्ग के निर्धारण हेतु वार्षिक आय सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर 1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-VI के अंतर्गत "4.5 लाख रुपए" की अभिव्यक्ति को "छह लाख रुपए" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 16 मई 2013 से प्रभावी हैं ।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाए ।

(शरद कुमार श्रीवास्तव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

Scanned with CamScanner

प्रा. सुरेश माने

(बी.कॉम., एल एल.एम.)

प्रा. सुरेश माने महाराष्ट्र के फुले-शाहू-पेरियार और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इनके परिवर्तनशील-स्वाभिमानी आंदोलन के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। फुले-आंबेडकरी विचारों के प्रखर प्रचारक, तेजस्वी और धारधार वाणी तथा कलम और शैलीदार वक्तृत्व प्राप्त प्रा. माने, मान्यवर कांशीरामजी के राष्ट्रव्यापी समाज-परिवर्तन आंदोलन के महाराष्ट्र के एक अग्रगण्य कार्यकर्ता है। बहुजन समाज की जनजागृती, उत्थान यहीं उनकी कलम और वक्तृत्व का केन्द्रबिंदू है। वर्तमान में प्रा. सुरेश माने मुम्बई विश्वविद्यालय के विधी विभाग में एलएलएम के प्राद्यापक के तौर पर कार्यरत है।

BSPK PUBLICATION

बहुजन साहित्य प्रसार केंद्र, नागपुर

Scanned with CamScanner